20 जून, 2018 * वर्ष-27, पृष्ठ संख्या 60, अंक-6

राजस्थान सुजस

प्यास बुझाता मीठा नीर

सिंचाई के साधन

राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। सिंचाई के लिए यहां प्राचीन काल से ही कुओं का उपयोग होता आया है। कुएं का पानी प्रमुखतः चड़स और रहट द्वारा निकाला जाता है। रहट में पानी खींचने के लिए धातु पात्र और मिट्टी के पात्रों का उपयोग होता है। इस पारम्परिक सिंचाई साधन का स्थान अब फव्वारा सिंचाई पद्धति ने ले लिया है। प्रस्तुत है सिंचाई के इन दोनों ही तरीकों की चित्रमय झांकी।

आलेख व छाया : **डॉ. देवदत्त शर्मा,** जयपुर

प्रधान सम्पादक
डॉ. राजेश शर्मा

सम्पादक
गणपत सिंह नारोलिया

कला
विनोद कुमार शर्मा

आवरण छाया
सुजस, हेतप्रकाश शर्मा, ममता छीपा

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
रेनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर - 302 005
e-mail :
editorsujas@gmail.com
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 27 अंक : 6 जून, 2018

इस अंक में

शुद्ध पेयजल

8

राजस्थान डायरी

30

फसली ऋण माफी योजना

40

सम्पादकीय	4
राज्यपाल सम्मेलन	5
वृहद् पेयजल परियोजनाओं से पहुंच ...	12
जल संरक्षण की परम्पराएं	16
गांव और ढाणियों तक पहुंचा मीठा पानी	20
चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना ...	21
प्रदेश में जल का प्राकृतिक संसाधन	22
औद्योगिक संस्थान निभा रहे हैं शुद्ध पेयजल ...	24
बांसवाड़ा में सूरज पहुंचा रहा है पानी	26
बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना ...	27
बीसलपुर योजना से पुष्कर सरोवर हुआ गुलजार	28
रोजगार, पर्यावरण विकास और पलायन ...	29
दिल्ली डायरी	39
खजूर की खेती राजस्थान के किसानों ...	47
कबीर : अतार्किकता को चुनौती	50
बायोमास कुक स्टोव	51
नायाब नवाब साहिब की हवेली	54
'मिड डे मील' में अब दूध पोषाहार	57
शहीदों की 1150 मूर्तियां	58

राजस्थान सुजस के आगामी अंक की विषय सामग्री शिक्षा पर आधारित होगी। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

स्वस्थ धरा - खेत हरा

48

आपदा प्रबन्धन

52

मदर मिल्क बैंक

56

जल जीवन का आधार

''जल ही जीवन है।'' यह सच्चाई है कि जल के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। इसलिए यह जरूरी है कि प्रकृति के अनमोल उपहार पानी की एक-एक बूंद हम सहेजें।

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में जल की कम उपलब्धता, कमजोर मानसून, भू-जल का अत्यधिक दोहन, पर्यावरणीय असंतुलन, पृथ्वी का बढ़ता तापमान एवं सूखे की स्थिति के कारण यहां सदैव जल का अभाव रहा है।

राज्य सरकार इन हालातों के बावजूद पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस संकट से निपटने के लिए जल प्रबन्धन के योजनाबद्ध प्रयास कर प्रदेशवासियों को शुद्ध पेयजल सुलभ करा रही है। राज्य में वृहद् एवं अन्य पेयजल योजनाओं को पूरा कर गुणवत्तायुक्त पेयजल पहुंचाया है।

प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा फ्लोराइड एवं खारे पानी की समस्या वाली बस्तियों में प्राथमिकता से आर.ओ. प्लांट एवं सौर ऊर्जा आधारित डी फ्लोरीडेशन संयंत्र स्थापित कर शुद्ध पेयजल की माकूल व्यवस्था की गई है। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल समस्या वाले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल परिवहन की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की पहल पर जल संकट के स्थाई समाधान के लिए प्रदेश भर में चरणबद्ध चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण व संग्रहण के अनेक पुख्ता काम हुए हैं जिसका परिणाम यह रहा कि कई गांव जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर हुए और जल समस्या का स्थायी समाधान हुआ।

देश में पहली बार राजस्थान में सरकार द्वारा जन सहभागिता से संचालित इस महत्त्वाकांक्षी अभियान ने जल संरक्षण कार्यों के लिए देश एवं दुनिया में नई मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी अभियान की तारीफ कर देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया है।

धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें जल के महत्त्व को समझते हुए सही मायने में जल संरक्षण के जतन करने ही होंगे। आइए, हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम पानी का सदुपयोग करेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे।

(डॉ. राजेश शर्मा)

राज्यपाल सम्मेलन

राष्ट्रपति के समक्ष राज्यपाल कल्याण सिंह ने रखे अपने विचार

राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता जरूरी

राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का कार्यकाल पांच वर्ष हो

गांधी विचार दर्शन पर विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम संचालित हो

उच्च शिक्षा में खेल दर्शन को अनिवार्य विषय बनाया जाए

राज्य विश्वविद्यालयों में हुए अनेक नवाचार

'गांधी को जानो' कार्यक्रम देश भर में चलाया जाए

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए

राज्य में उत्पादित विशिष्ट फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लिया जाए

फसलों के उत्पादन और बाजार की मांग का समय पूर्व आकलन हो

राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकया नायडू और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष राज्य के बारे में अपने विचार रखे। राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 4 व 5 जून को राज्यपाल सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें देश के सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपालों ने भाग लिया। उच्च शिक्षा के व्यवधानों को दूर करने के लिए देश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता लाने की आवश्यकता बताते हुए राज्यपाल श्री सिंह ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किए जाने पर जोर दिया है।

राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल एवं गुणात्मक परिवर्तनों को विस्तार से बताते हुए श्री कल्याण सिंह ने कहा कि प्रत्येक

विश्वविद्यालय को ग्रामीण सरोकारों से जोड़ा गया है। विश्वविद्यालय गांवों को गोद लेकर स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित कर रहे हैं। प्रदेश में युवाओं को आजीविका व कौशल विकास के व्यापक अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी है। सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्थान आई.एल.डी. स्किल यूनिवर्सिटी एवं निजी क्षेत्र में भारतीय स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ राजस्थान में अनेक नवाचार किए गए हैं।

राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का कार्यकाल पांच वर्ष हो

कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष किए जाने के मामले में राज्यपाल का मानना है कि किसी भी विश्वविद्यालय का ढांचा सुधारने के लिए तीन वर्ष का समय बेहद कम होता है। चूंकि कुलपति को एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ विश्वविद्यालय का जिम्मा सौंपा जाता है। ऐसे में उनके 3 से 4 महीने तो कामकाज समझने में गुजर जाते हैं और कार्यकाल के अंतिम वर्ष के तीन से पांच महीने कोई बड़ा निर्णय नहीं कर पाते हैं। काम-काज के लिए सवा दो साल मिलते हैं, ऐसे में जिस टास्क के साथ कुलपति को लगाया जाता है, वो टास्क पूरा ही नहीं हो पाता। विश्वविद्यालयों में भर्तियों, बेहतर रिसर्च, छात्र व टीचर्स के डवलपमेंट के मुद्दे पर बड़े विवाद होते हैं।

राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता जरूरी

देश के सभी प्रदेशों के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता की आवश्यकता है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नई गाइडलाइन्स तैयार करने हेतु कार्य करना होगा। विभिन्न राज्यों के राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियम अलग-अलग हैं। एक राज्य में संचालित विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियम भी एक समान नहीं हैं। इससे उच्च शिक्षा में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं।

उच्च शिक्षा में खेल दर्शन को अनिवार्य विषय बनाया जाए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित ''खेलो इण्डिया मिशन'' के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से खेलों से जोड़ना होगा। खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ ''खेल दर्शन'' को एक अनिवार्य विषय के रूप में नियमित पाठ्यक्रमों में शामिल करना होगा।

युवा पीढ़ी व देश के भविष्य को सुदृढ़ करने में खेल का यह प्रयास लाभदायी होगा। इससे देश में जहां एक ओर खेल प्रतिभाओं का विकास व विस्तार होगा, वहीं दूसरी ओर खेल मूल्यों से ओतप्रोत सुदृढ़ चरित्र व स्वस्थ मानव संसाधन का विकास भी सम्भव हो सकेगा।

गांधी विचार दर्शन पर विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम संचालित हो

महात्मा गांधी के वैचारिक दर्शन व जीवन मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाना जरूरी है। इसके लिए पूरे देश में 'गांधी को जानो' कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती देश में समारोहपूर्वक मनाए जाने के निर्णय को सराहनीय कदम बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में गांधी विचार दर्शन पर पाठ्यक्रम या प्रश्न पत्र आरम्भ किया जा सकता है।

गांधीजी समय की पाबन्दी के प्रबल समर्थक थे। गांधीजी की इसी भावना के अनुरूप राजस्थान में राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है। महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के मौके पर अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति के लोगों को दो सौ दिवस तक मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने का सुझाव दिया। गांधी पर्यावरण विज्ञान एक्सप्रेस ट्रेन का पुन: संचालन भी गांधीजी के सिद्धांतों को दूर-दराज के क्षेत्रों में प्रसारित करने में सहयोगी हो सकेगा। महात्मा गांधी के आदर्शों को दूसरे देश के लोगों तक भी पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए भारतीय दूतावासों में गांधी परिचय केन्द्र संचालित किए जा सकते हैं।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए

''पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना'' राजस्थान प्रदेश की एक

महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है।

विशिष्ट फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लिया जाए

राजस्थान विशिष्ट फसलों यथा ग्वार, मोठ, चौंला, जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, अरण्डी, ग्वारपाठा तथा मेहंदी के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। इन विशिष्ट फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाना चाहिए।

फसलों के उत्पादन और बाजार की मांग का समय पूर्व आकलन किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने इस कार्य के लिए एक तन्त्र विकसित करने की आवश्यकता जताई ताकि किसानों को यह जानकारी समय पर मिल सके कि कौनसी फसल कितने क्षेत्रफल में बोई जाए।

किसानों को लाभान्वित करने के लिए कृषि अर्थशास्त्र को विकसित किया जाना चाहिए। इस स्मार्ट विद्या के विकास के लिए राज्य सरकारों को प्रयास करने होंगे। कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक स्पर्धा की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मास्टर ऑफ बिजनेस इन एग्रीकल्चर जैसे पाठ्यक्रम राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित किए जाने चाहिए।

राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सॉयल हैल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सेवा केन्द्रों और विलेज नॉलेज सेन्टर को राज्य में प्रमुखता दी जा रही है। राज्य में जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

राजभवन में हर्बल गार्डन

राजस्थान के राजभवन में नवाचार किए जा रहे हैं। राजभवन में हर्बल गार्डन विकसित किया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर व माउण्ट आबू राजभवनों में जैविक विविधता का सर्वेक्षण व प्रलेखन और जीर्णोद्धार व पुनरुद्धार के कार्य चल रहे हैं। •

सभी छायाचित्र : सुजस

आलेख : **डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा**
जनसम्पर्क अधिकारी, राजभवन, जयपुर

...जारी है आखिरी छोर तक

शुद्ध पेयजल

उपलब्ध कराने के प्रयास

पिछले साल राज्य में बारिश की भारी कमी के चलते पेयजल संकट बढ़ने लगा था। बावजूद इसके मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे एवं जलदाय मंत्री सुरेन्द्र गोयल के नेतृत्व में जलदाय विभाग ने आखिर छोर तक बैठे आमजन तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का हरसंभव प्रयास किया है। प्रदेश में पेयजल की स्थिति और विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर खास पेशकश–

राजस्थान भले ही देश का सबसे बड़ा प्रदेश हो लेकिन पानी के मामले में कुदरत ने राज्य पर पूरी तरह मेहरबानी नहीं की है। आबादी के मामले में राजस्थान देश की कुल जनसंख्या का 5.5 फीसदी है लेकिन सतही जल व भूजल की उपलब्धता देश में उपलब्धता की तुलना में महज एक प्रतिशत ही है। सदियों से संचित यह भूजल भी अतिदोहन के चलते चिन्ताजनक स्थिति में आ गया है। एक आंकड़े के अनुसार प्रदेश के बड़े हिस्से में भूजल पीने योग्य नहीं है। देश के 89 फीसद लवणता प्रभावित, 50 फीसद फ्लोराइड प्रभावित एवं 58 फीसद नाइट्रेट प्रभावित गांव व ढाणियां हमारे राज्य में हैं। वर्तमान में राज्य में भूजल का औसतन दोहन 135 प्रतिशत है तथा जयपुर में 600 प्रतिशत तक है, इस कारण वर्ष 2013 में राज्य के कुल 248 ब्लॉक में से मात्र 44 ब्लॉक ही सुरक्षित बचे हैं, जो वर्ष 1984 में 135 थे।

इन सबके बावजूद राज्य सरकार ने आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि वर्तमान सरकार ने पिछले चार वर्षों में 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च कर आखिरी छोर तक बैठे व्यक्ति तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो राज्य सरकार के अथक प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान किया जा रहा है। राज्य में पेयजल सुविधा से पूर्ण, आंशिक लाभान्वित ग्राम-ढाणियों की वर्तमान स्थिति में खासा सुधार आया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 लाख 21 हजार 648 कुल हैबिटेशन हैं, जिनमें से 56 हजार 951 पूर्ण लाभान्वित हो चुकी हैं, तो 45 हजार 130 आंशिक रूप से लाभान्वित हुई हैं, जबकि 19 हजार 567 हैबिटेशन पेयजल गुणवत्ता प्रभावित हैं। सरकार ने कई तरह के अनूठे प्रयासों से ग्रामीणजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की हरसम्भव कोशिश की है।

गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में लगाए ढाई हजार से ज्यादा आरओ प्लांट्स

पेयजल की गुणवत्ता में सरकार को जहां भी समस्या नजर आई वहां आरओ प्लांट्स के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कोशिश की। विभाग ने हाल ही में खासकर पेयजल के खारेपन एवं फ्लोराइड की समस्याओं सहित बहु गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों और ढाणियों में आर.ओ. प्लान्ट्स लगाने का कार्य हाथ में लिया गया है। प्रथम चरण में वर्ष 2013-14, 2014-15 में राज्य के 15 जिलों में 895 आर.ओ. प्लान्ट्स स्थापित किए गए। द्वितीय चरण में कुल 1 हजार 66 आरओ प्लांट्स (अनुमानित लागत 245.90 करोड़ रुपये) के कार्यादेश फरवरी, 2016 में जारी कर दिए गए, जिनके विरूद्ध 1 हजार 191 आरओ प्लांट्स को चालू कर दिया गया है। तृतीय चरण में 1 हजार 191 आरओ प्लांट्स (अनुमानित लागत 287.95 करोड़ रुपये) के निर्माण के कार्यादेश 2017 में जारी कर दिए गए। इस चरण में 703 आरओ प्लांट्स की स्थापना का कार्य पूर्ण कर कमीशन कर दिया गया है। इस तरह अब तक 3 हजार 152 आरओ प्लांट्स स्वीकृत कर 2 हजार 639 आरओ प्लांट्स 25 मई, 2018 तक चालू कर दिए गए हैं, जिनसे प्रदेश के हजारों लोगों को मीठा पानी उपलब्ध होने लगा है।

सौर ऊर्जा आधारित बोरवैल पम्पिंग सिस्टम

राज्य में पहली बार सौर ऊर्जा आधारित नलकूपों की स्थापना करने की पहल की गई है, इससे ऐसे क्षेत्रों में भी जल उपलब्ध करवाना सम्भव हो पाएगा, जहां बिजली की उपलब्धता नहीं है या अनियमित है और भूजल स्तर नीचे जाने के कारण दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या उत्पन्न होती है। वर्ष 2015-16 में कुल 1 हजार 44 सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों की अनुमानित लागत 94.26 करोड़ रुपये स्वीकृत कर माह फरवरी, 2016 में कार्यादेश दिए जा चुके हैं। 17 मई, 2018 तक इसके विरूद्ध 867 सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं।

सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र

वर्ष 2015-16 में गुणवत्ता प्रभावित ग्राम ढाणियों में जहां केवल फ्लोराइड की समस्या है, वहां प्राथमिकता से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में 345 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र अनुमानित लागत 37 करोड़ की स्वीकृति जारी कर फरवरी, 2016 में कार्यादेश जारी किए गए। अब तक 336 संयंत्र (डी.एफ. यूनिट) चालू कर दिए गए हैं। इसी प्रकार द्वितीय चरण में कुल 1 हजार 175 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र अनुमानित लागत 137 करोड़ रुपये के स्वीकृत कर 2017 में कार्यादेश जारी किए गए जिसके विरूद्ध 25 मई, 2018 तक 1 हजार 43 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र स्थापित कर चालू किए जा चुके हैं। इस तरह अब तक 1 हजार 520 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र के विरूद्ध 25 मई, 2018 तक 1379 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र स्थापित कर चालू किए जा चुके हैं।

जनता के लिए जनता जल योजना

राज्य में बन्द पड़ी जनता जल योजनाओं को जो कि पंचायती राज द्वारा संधारित की जा रही है उन्हें चालू करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इस निर्णय के तहत विभाग द्वारा राज्य में विगत वर्षों में कुल 3 हजार 273 जनता जल योजनाओं को दुरुस्त कर पुन: चालू करने के लिए 405.83 करोड़ रुपये स्वीकृत कर कार्य हाथ में लिया गया है। इनमें से 2 हजार 831 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

डिग्गी से संचालित पेयजल परियोजनाओं को किया दुरुस्त

हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर जिले की 150 नहर आधारित योजनाओं के सुदृढ़ीकरण और रेपिड ग्रेविटी फिल्टर निर्माण कार्य के लिए अनुमानित 132.18 करोड़ रुपये के कार्यादेश दिए गए। इसके तहत 150 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इनमें से 115 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं और वर्तमान में 112.94 करोड़ रुपये का कार्य पूर्ण हो चुका है।

राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए विभाग ने किए खास इंतजाम

सभी जिलों के लिए मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को प्रभारी नियुक्त किया गया जिनके द्वारा क्षेत्रों का दौरा कर समस्याओं को मौके पर ही सुलझाया जा रहा है।

विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को ग्रीष्म-2018 के आकस्मिक कार्य के लिए 50-50 लाख रुपए प्रति जिला स्वीकृत करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। वर्तमान में 50 शहरों में 3 हजार 952 टैंकर ट्रिप्स प्रतिदिन कर पेयजल परिवहन किया जा रहा है। इसी प्रकार पेयजल की कमी वाले 3 हजार 395 गांव-ढाणियों में 5 हजार 601 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन से पेयजल परिवहन किया जा रहा है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ा दिया जाएगा। ग्रीष्म-2018 में पेयजल परिवहन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2394.08 लाख रुपये एवं शहरी क्षेत्रों में 2195.88 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री के बजट भाषण में दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक विधासभा क्षेत्र में 100 हैण्डपम्प या समान राशि के सोलर बोरवेल के विरूद्ध अब तक 6 हजार 217 हैण्डपम्प, 107 नलकूप एवं 74 सोलर बोरवेल स्वीकृत कर दिए गए हैं। विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता से स्वीकृत किया जा रहा है।

प्रदेश में 42वां हैण्डपम्प मरम्मत अभियान 1 अप्रेल, 2018 से लगातार चल रहा है। हैण्डपम्प मरम्मत अभियान व जल योजनाओं के संधारण के लिए किराए के 531 वाहन एवं 2 हजार 500 संविदा श्रमिकों की स्वीकृति जारी कर दी गई है। वर्ष 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख 15 हजार 470 एवं शहरी क्षेत्रों में 35 हजार 337 हैण्डपम्पों का मरम्मत कार्य सम्पन्न करवाया जा चुका है। 1 अप्रेल, 2018 से अब तक 41 हजार 417 हैण्डपम्पों का मरम्मत कार्य सम्पन्न करवाया जा चुका है।

इसके अलावा वर्ष 2017-18 में शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 674 नलकूप और 5 हजार 795 हैण्डपम्प चालू किए जा चुके हैं। वर्ष

2018-19 में 1 अप्रैल, 2018 से अब तक 500 नलकूप एवं 438 हैण्डपम्प चालू किए जा चुके हैं।

राज्य के 9 जिलों बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर एवं झुन्झुनूं में 29 मार्च, 2018 से 28 अप्रेल, 2018 तक इन्दिरा गांधी नहर बन्दी के मद्देनजर पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित व्यवस्था की गई। 29 अप्रेल, 2018 से नहर में पानी की आवक शुरू कर दी गई। नहर बंदी के दौरान समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जल परिवहन एवं अन्य संसाधनों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। स्थानीय जिला प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी क्षेत्र में उपस्थित रह कर लगातार निगरानी कर रहे हैं।

शहर की लाइफ लाइन बनकर बीसलपुर बुझा रहा है लाखों लोगों की प्यास

जयपुर शहर की वर्तमान आबादी को 55 करोड़ लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें से बीसलपुर से 48 करोड़ लीटर एवं शेष 7 करोड़ लीटर नलकूपों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। इस प्रकार बीसलपुर बांध से लगभग 37 प्रतिशत अधिक पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जयपुर शहर के लिए सूरजपुरा स्थित जल शोधन संयंत्र की क्षमता 40 करोड़ लीटर प्रतिदिन की थी जिसको संवर्धित कर 60 करोड़ लीटर प्रतिदिन कर नवम्बर, 2015 में संचालित कर दिया गया। इस कार्य पर 120 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। गत 4 वर्षों में शहर की अलाभान्वित क्षेत्र की एक लाख से अधिक जनसंख्या को बीसलपुर बांध आधारित योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया जिसमें नींदड़, मांचड़ा, बढ़ारना, हरमाड़ा, अनोखागांव, नांगल जैसा बोहरा, छापुलों की ढाणी, मुहाना मोड़ एवं जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त गत 4 वर्षों में शहर के बाहरी क्षेत्र जैसे जगतपुरा, खोनागोरियान, जामड़ोली एवं आमेर के लिए कुल 200 करोड़ रुपये की नवीन योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन कार्यों को इसी वर्ष प्रारम्भ करना लक्षित है। इन परियोजनाओं से 3.25 लाख की जनसंख्या बीसलपुर पेयजल से लाभान्वित होगी। इन योजनाओं के क्रियान्वयन होने तक, इस बाहरी क्षेत्र की जनता को तात्कालिक लाभ देने के लिए लगभग 177 नलकूपों का निर्माण किया गया है एवं 580 पी.वी.सी. टंकियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में 1650 टैंकर ट्रिप्स द्वारा जल परिवहन किया जा रहा है।

शहर में प्रदूषित जल की समस्या के निदान के लिए पिछले चार सालों में 185 कि.मी. पाइप लाइनों को बदलकर नई पाइप लाइनें बिछाई गई हैं। वर्तमान में जयपुर-बीसलपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत 60 करोड़ लीटर पेयजल परिवहन के लिए ढांचा निर्मित है। शहर की बढ़ती हुई पेयजल मांग एवं अलाभान्वित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2018-19 में 1 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस परियोजना से पेयजल परियोजना की क्षमता 60 करोड़ लीटर से बढ़कर 82 करोड़ लीटर हो जाएगी। •

आलेख व छाया : **हेतप्रकाश शर्मा**
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर

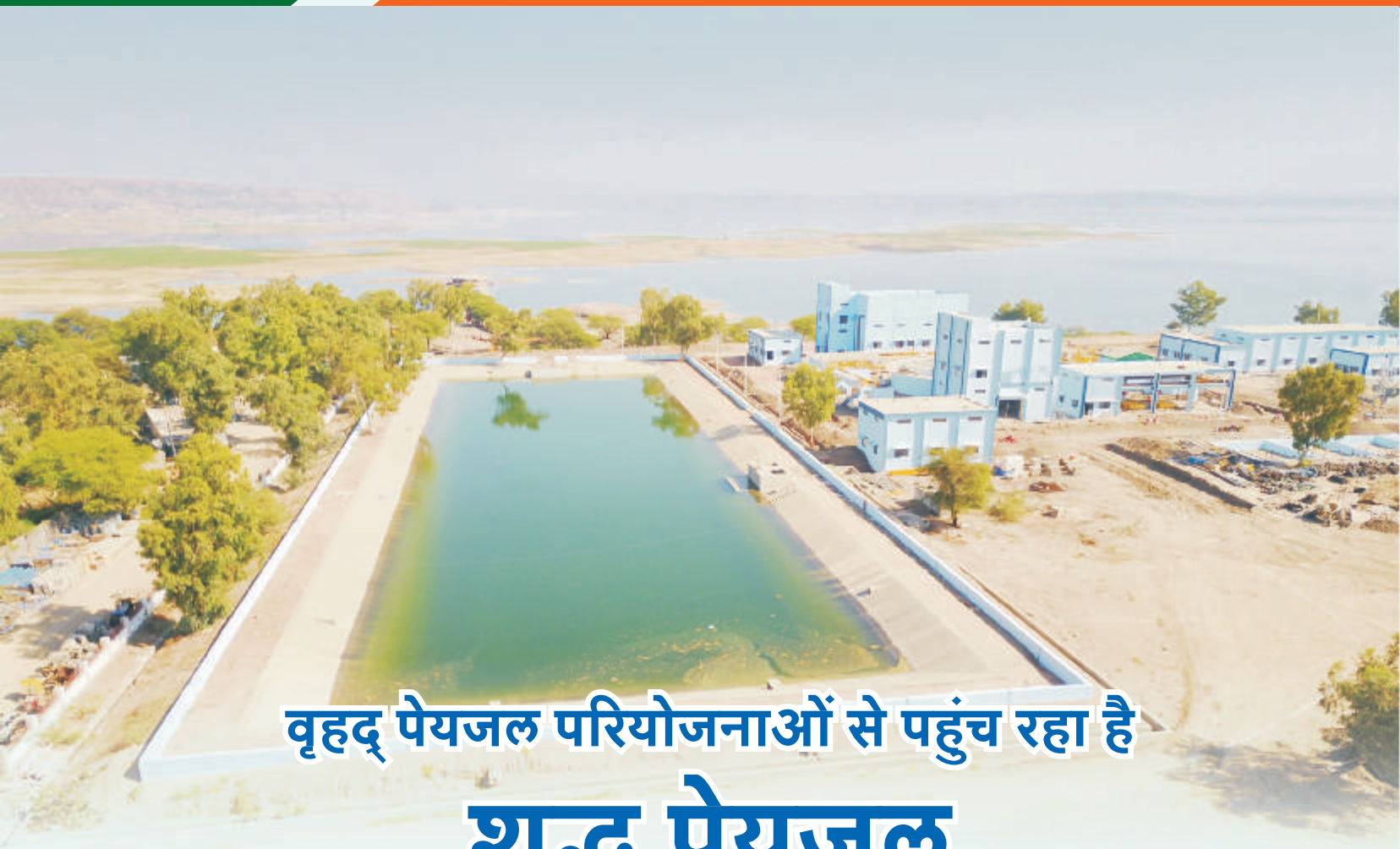

वृहद् पेयजल परियोजनाओं से पहुंच रहा है
शुद्ध पेयजल

राजस्थान की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए 35 हजार 343 करोड़ रुपये की लागत की सतही स्रोत आधारित 120 वृहद् पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के 103 शहरों व कस्बों, 16 हजार 702 गांवों और 12 हजार 276 ढाणियों को सतही स्रोत पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत अप्रेल, 2018 तक 22 हजार 999 करोड़ रुपये व्यय कर 68 शहरों-कस्बों, 7 हजार 32 गांवों तथा 6 हजार 529 ढाणियों को सतही स्रोत पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।

वृहद् पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत उपलब्धियां

राज्य में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रगतिरत 67 सतही जल स्रोत आधारित वृहद् परियोजनाओं में से 31 वृहद् परियोजनाओं को पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है एवं 5 परियोजनाओं के भौतिक कार्य लगभग पूर्णता के निकट है एवं इनसे ग्राम-ढाणियों को जोड़कर पेयजल से लाभान्वित किया जा रहा है।

एक करोड़ से भी ज्यादा आबादी हुई लाभान्वित

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सतही जल स्रोत आधारित वृहद् परियोजनाओं के माध्यम से 30 शहरों-कस्बों यथा पीपाड़ एवं बिलाड़ा जिला जोधपुर, समदड़ी जिला बाड़मेर, तख्तगढ़ एवं जैतारण जिला पाली, पोकरण जिला जैसलमेर, शहर जालोर, कस्बा सांचौर जिला जालोर, राजगढ़ छापर एवं सुजानगढ़ जिला चूरू, शहर बूंदी, भवानीमंडी एवं सुनेल जिला झालावाड़, मूंडवा एवं कुचेरा जिला नागौर, देवली एवं उनियारा जिला टोंक, किशनगढ़

रेनवाल एवं जोबनेर जिला जयपुर, शहर भीलवाड़ा तथा मेड़ता, अन्ता, मारवाड़, झुन्झुनूं, टोंक, खेतड़ी, मंडावा, बगड़ एवं गोठड़ा तथा 8 हजार 51 ग्रामों-ढाणियों को वृहद् पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही पेयजल से एक करोड़ से भी अधिक आबादी को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया गया है।

राजस्थान वाटर ग्रिड

राज्य के सभी क्षेत्रों में जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य स्तरीय वाटर ग्रिड स्थापना पर कार्य प्रारम्भ करने की वर्ष 2014-15 में बजट घोषणा की गई थी। राज्य में पेयजल के स्थायी समाधान के दृष्टिगत राजस्थान राज्य जल ग्रिड परिकल्पना का एक महत्त्वपूर्ण कार्य हाथ में लिया गया जिसके अन्तर्गत आधिक्य वाले जल स्रोतों से कमी वाले जल स्रोतों को जोड़कर राज्य की वर्ष 2051 तक की पेयजल मांग को पूरा करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 9 हजार 894 ग्राम पंचायतों की जल की मांग, उपलब्धता, आधिक्य एवं कमी के आकलन की प्रकिया अंतिम चरण में है।

बजट घोषणा वर्ष 2018–19

राज्य में भूजल की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेयजल के दीर्घकालीन स्थाई समाधान हेतु राज्य सरकार ने इस वर्ष बजट घोषणा के अन्तर्गत कुल 4972 करोड़ रुपये लागत की 9 नवीन परियोजनाओं का निर्माण कार्य हाथ में लिया जाएगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य के बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, पाली एवं जयपुर जिले के 10 शहर एवं जयपुर शहर के बाहरी क्षेत्र के 2601 ग्राम व 547 ढाणियों को शुद्ध पेयजल से जोड़कर लगभग 50 लाख आबादी को आगामी तीन वर्ष में लाभान्वित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परवन एवं माही बजाज सागर परियोजना के तहत क्षेत्र की लगभग 35 लाख आबादी को लाभान्वित किया जाएगा।

9 नवीन परियोजनाओं से पहुंचेगा पेयजल

1. **झालीजी का बराना वृहद् पेयजल परियोजना :** बून्दी जिले में 109 करोड़ 29 लाख रुपये लागत की इस परियोजना से केशवरायपाटन क्षेत्र के 71 गांवों व ढाणियों में निवास करने वाली एक लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। परियोजना की स्वीकृति 7 अप्रेल, 2018 को जारी कर दी गई है। योजना का कार्य आगामी 2 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा।

2. **गरड़दा वृहद् पेयजल परियोजना :** बून्दी जिले में 182 करोड़ 86 लाख रुपये लागत की इस परियोजना से बून्दी क्षेत्र के 111 गांवों तथा 91 मजरे–ढाणियों में निवास करने वाली लगभग 2 लाख 90 हजार आबादी लाभान्वित होगी। परियोजना का कार्य आगामी 2 वर्षों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

3. **कछावन पेयजल परियोजना :** बारां जिले में 55 करोड़ 47 लाख रुपये लागत की इस परियोजना से छबड़ा क्षेत्र के 16 गांवों तथा 3 मजरे–ढाणियों की 20 हजार आबादी लाभान्वित होगी। योजना की डी.पी.आर. तैयार कर ली गई है परन्तु इस परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र आंशिक रूप से परवन पेयजल परियोजना में भी सम्मिलित होने के कारण इसका पुनर्वीक्षण प्रक्रिया में है।

4. **परवन–अकावद पेयजल परियोजना :** झालावाड़–बारां–कोटा जिले में 2000 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना से खानपुर, मनोहरथाना, लाड़पुरा, पीपलदा, सांगोद, अन्ता, बारां–अटरू, छबड़ा एवं किशनगंज क्षेत्र के लगभग 1821 गांवों की आबादी लाभान्वित होगी। प्रथम चरण में परियोजना की डी.पी.आर. सहित बांध निर्माण में पेयजल हिस्सा राशि का भुगतान तथा इन्टेक वेल के कार्य की स्वीकृति 14 मार्च, 2018 जारी कर दी गई है। परियोजना के द्वितीय चरण के लिए सर्वेक्षण व डी.पी.आर. तैयार करने के लिए कार्यादेश जारी किए जाने की प्रक्रिया में है। योजना कार्य आगामी 4 वर्षों में पूर्ण किया जा सकेगा।

5. **डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा वृहद् पेयजल परियोजना :** डूंगरपुर जिले में 364 करोड़ 94 लाख रुपये लागत की इस परियोजना से डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा क्षेत्र के 1 शहर 151 गांवों तथा 244 मजरे-ढाणियों की 5 लाख 32 हजार आबादी लाभान्वित होगी। योजना की डी.पी.आर. तैयार कर ली गई है एवं प्रस्ताव लागत 425.15 करोड़ स्वीकृति की प्रक्रिया में है। योजना कार्य आगामी 3 वर्षों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

6. **बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना, द्वितीय चरण :** जयपुर शहर की बढ़ी हुई पेयजल मांग तथा शहर के अलाभान्वित क्षेत्रों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 200 एम.एल.डी. क्षमता का सूरजपुरा हैडवर्क्स पर अतिरिक्त जलशोधन संयंत्र तथा सूरजपुरा से बालावाला हैडवर्क्स तक 2300 एम.एम.व्यास की मुख्य पाइप लाइन बिछाए जाने का कार्य अनुमानित 1000 करोड़ रुपये लागत से किया जा सकेगा।

7. **माही बजाज सागर-जयसमन्द जल स्थानान्तरण परियोजना :** दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, राजसमन्द एवं चित्तौड़गढ़ जिले की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित माही हाई लेवल नहर से जयसमन्द झील में माही का जल स्थानान्तरित करने की अनुमानित 450 करोड़ रुपये लागत की योजना का कार्य किया जाएगा। जयसमन्द झील में स्थानान्तरित जल को तत्पश्चात राजसमन्द झील एवं चित्तौड़गढ़ जिले में पेयजल हेतु स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

8. **बाली, रानी, दैसूरी जिला पाली के 224 गांवों के लिए जवाई बांध से पेयजल परियोजना :** इस परियोजना का कार्य इस वित्तीय वर्ष में हाथ में लिया है। इस कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लागत 511.91 करोड़ रुपये तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया में है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की 5 लाख 17 हजार से अधिक आबादी लाभान्वित होगी।

9. **हरिपुरा-मांझी पेयजल परियोजना :** कोटा जिले के सांगोद, पीपलदा एवं लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए 297.48 करोड़ रुपये लागत की परियोजना का कार्य हाथ में लिया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन होने से सांगोद विधानसभा क्षेत्र के 102 गांव व 20 मजरे, पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के 44 गांव एवं 6 मझरे एवं लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र के 61 गांव व 61 मजरे लाभान्वित किए जाएंगे। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की 5 लाख से ज्यादा आबादी लाभान्वित होगी। •

आलेख व छाया : **हेतप्रकाश शर्मा**
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर

छायाचित्र : अशोक गुप्ता

जल संरक्षण की परम्पराएं

आलेख : **महापहोपाध्याय देवर्षि कलानाथ शास्त्री**

वेदकाल से ही जल तत्त्व के महत्त्व पर, जल के स्रोतों पर, उसके विविध उपयोगों पर भारत में इतना विशद उल्लेख और विवेचन मिलता है जिस पर आज तक समुचित अध्ययन नहीं हुआ है। जल सम्बन्धी अनेक सूक्त ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक में मिलते हैं जिनमें जीवन के लिए जल के महत्त्व का विशद विवरण मिलता है। ऋग्वेद की एक ऋचा जल के समस्त स्रोतों का विवरण देती है –

या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः।

समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु।।

हमारे जीवन के लिए सम्बलदायी जल अनेक स्रोतों से प्राप्त होता है – दिव्य जल (अर्थात जो आकाश से बरसता है) अथवा वर्षा का जल पहले गिनाया गया है, फिर वह जल जो हिमनदों (ग्लेशियरों) से रिसकर नीचे बहता है, यही है गंगा आदि पावन नदियों का अमृत फिर वह जल जिसे हम कुआं या तालाब खोद कर निकालते हैं (खनित्रिमा) इसमें हैण्डपम्प या बोरिंग वाला जल भी शामिल है, वह जल अवश्य शामिल नहीं है जो पाताल फोड़ कुएं खोद कर पृथ्वी की कोख का विनाश करने वालों द्वारा निकाला जा रहा है और विध्वंस का सूत्रपात कर सकता है। ''स्वयंजा'' संकेत है समुद्र के जल का जो ग्रह की उत्पत्ति के साथ जन्म ले चुका था। फिर आता है अन्य नदियों या नदों का वह जल जो अन्य स्रोतों से निकल कर समुद्र तक जाता है (समुद्रार्थाः)। ये सारे जल जीवन के लिए अमृत हैं क्योंकि वे सफाई भी करते हैं, पवित्रता के आधार हैं और प्राणों के लिए रक्षा कवच का काम करते हैं। इतने स्पष्ट और व्यापक स्रोतों की गिनती मानव के पुस्तकालय की प्रथम पुस्तक में मिलना क्या आश्चर्यजनक नहीं है जो हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई है?

जल संरक्षण के प्रकार

वेदोत्तर काल के सभी ग्रन्थों में जल का महत्त्व भी स्पष्ट किया गया है, उसके विभिन्न उपयोग स्पष्ट किए गए हैं और उसके संग्रहण के उपाय भी बतलाए गए हैं। जल से होने वाले खतरों पर भी विचार किया गया है, अतिवृष्टि से, बाढ़ से, जलप्रपात से और जल के संक्रमण से बचने के उपाय भी बतलाए गए हैं। मध्यकाल में देश के उन अंचलों में जहां नदियों का जल पूर्णतः उपलब्ध नहीं होता था, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जहां वृष्टि का अनुपात भी कम है, जल के संग्रहण के विविध उपायों की व्यापक परम्पराएं तलाशी जाती रही हैं। ऐसे अंचलों में तथा उन क्षेत्रों में जहां भूजल बहुत गहरी सतह पर न होकर कुछ ऊपर जलाधार स्रोत उपलब्ध हैं, घर-घर में कुएं होते थे, गांव-गांव में कुएं होते थे। पनघटों की हलचल, पनिहारिनें, मस्तक पर रखे कलश आदि के वर्णन साहित्य में भरपूर हैं अतः उस पर विस्तार आवश्यक नहीं। राजस्थान के सभी मरुस्थलीय नगरों में जो हवेलियां बनाई जाती थीं उनमें वर्षा जल के संग्रहण के विशिष्ट साधन और उपाय साथ में रखे जाते थे। वर्षा का जल छतों से होकर तहखानों तक जाता था और वहां संगृहीत होता था। इन

संग्रहों को 'टांका' कहा जाता था। उनमें संगृहीत जल स्नान के लिए भी काम में लिया जाता था और परिष्कृत कर खाना बनाने आदि में भी काम में आ सकता था।

वर्षा के जल को खेतों के आसपास बने बड़े खड्डों में संगृहीत करने की परम्परा अधिकतर गांवों में थी। प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे संग्रहस्थलों को ''खात'' कहा जाता था। वर्षा न होने पर वह जल सिंचाई के काम में आता था। कुओं से सिंचाई, ''रहट'' चलना, बैलों का इस कार्य में उपयोग – ऐसे दृश्य गत सदियों में तो सुविदित थे। नवयुग में वे विरल होते जाएं तो क्या आश्चर्य है?

इसी प्रकार गांवों, नगरों, उपनगरों आदि में बावड़ियों की परम्परा बहुत पुरानी है। ऐसे जलसंग्रहों पर सीढ़ियां बनी रहती थीं, स्नान हेतु प्रकोष्ठ भी बनाए जाते थे, जिससे महिलाएं पर्दे में स्नानादि कर सकें। इन बावड़ियों को ''वापी'', ''सोपान कूपिका'' आदि अनेक नामों से पुकारा जाता था। राजस्थान में आभानेरी आदि की बावड़ियों में आज भी सदियों पुरानी कलाकृतियां पाई गई हैं। उत्तर भारत की बावड़ियों पर अनेक शोध हुए हैं।

पुराणों में भी बावड़ियों आदि जलाशयों की महिमा वर्णित है। कहा गया है कि दस कुओं के समान एक बावड़ी होती है, दस

छायाचित्र : मनोज जैन

बावड़ियों के समान एक झील। ऐसी वापियों के, सरोवरों के, विशाल मानव निर्मित सागरों के वर्णन इतिहास में भी मिलते हैं, साहित्य में भी। राजस्थान में तो मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक ऐसे जलाशयों का विस्तृत विवरण मिलता है। इन तालाबों का स्वर्णिम इतिहास है। इनके चारों ओर मेले लगते हैं, इन पर सुन्दर मन्दिर, छतरियां आदि निर्मित हैं जो आज तक पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं।

जल की अनेक भूमिकाएं

अनेक कार्य जल से होते हैं। पेयजल, सिंचाई के लिए जल, सफाई के लिए जल आदि कार्य तो उसके हैं ही, अब तो बिजली भी उससे बनती है। उसकी उपयोगिता अनन्त है। तभी तो भारत में वेदकाल से ही जल की महिमा गाई जाती रही है, इसे ''जीवन'' शब्द से संस्कृत के सारे शब्दकोष अभिहित करते हैं, इसे जीव सृष्टि का प्रथम तत्त्व और पवित्र माना जाता रहा है। वेदों में जल के वे सारे भेद और प्रकार वर्णित हैं जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वे स्वरूप भी वर्णित हैं जो पृथ्वी से इतर लोकों में पाए जाते हैं (जैसे अन्तरिक्ष, विभिन्न ग्रह, चन्द्रमा आदि उपग्रह) और मानव जीवन पर उनका प्रभाव और उनकी उपयोगिता भी वर्णित है। यह जल प्रमुखतः तीन भूमिकाएं निभाता है, मानव के लिए पेयजल के रूप में ही नहीं, प्राणि मात्र के पेयजल के रूप में जीवनदाता बनता है, भूमि के साथ मिलकर अन्न उत्पन्न करता है अर्थात फसलों को सींचता है तथा मानव शरीर से लेकर वस्त्र, भूमि, पात्र, भवन आदि समस्त पदार्थों की शुद्धि करता है अर्थात धोने के काम में आता है। इन सब भूमिकाओं का विशद विवरण प्राचीन भारतीय वाङ्मय में मिलता है।

इन भूमिकाओं में पेयजल की जो भूमिका है उसका महत्त्व सुविदित है। इसीलिए पेयजल स्वच्छ रखा जाए, उसमें प्रदूषण न आने पाए इसका विशेष ध्यान रखा जाता रहा है। ग्लेशियर से निकली गंगा आदि नदियों का जल अमृत के समान होता है अतः वह पेय है यह बतलाया गया है, ''अप्स्वन्तरमृतम् अप्सु भेषजम्'' आदि वाक्यों से उसे औषधि के समान हितकारी बतलाते हुए यह निर्देश भी दिया गया है कि उसे प्रदूषित नहीं किया जाए। यदि उसे संगृहीत और भंडारित किया जाता है और उसमें तनिक भी प्रदूषण की आशंका होती है तो विभिन्न जड़ी-बूटियों द्वारा उसे शुद्ध करने और शुद्ध रखने के तरीके अथर्ववेद बतलाता है। वेदकाल के बाद मध्यकाल से होते हुए आज तक हमारे पूर्वज

वर्षाजल को संगृहीत करते थे, बड़े नगरों में नहरों, कुओं, बावड़ियों, कुंडों आदि द्वारा नागरिकों को जल संप्रेषित करते थे इसका विवरण भी मिलता है। ऐसे संप्रेषणीय जल को शुद्ध करने अर्थात फिल्टर करने के मध्यकालीन उपाय, प्रकार और विधान भी सुविदित थे, आज की नई पीढ़ी को वे ज्ञात न रहे हों, यह सम्भव है।

बड़े भवनों, किलों, धर्मशालाओं आदि में जो पेयजल भंडारित या संचारित किया जाता था उसके स्वच्छ करने अर्थात उसे फिल्टर करने के लिए फिटकरी, चूने आदि विभिन्न पदार्थों का गत अनेक शताब्दियों से उपयोग किया जाता रहा था। आजकल जलदाय विभाग द्वारा फिल्टर करने का कार्य किया जाता है जो वैज्ञानिक है, उसी से पेयजल जनता तक पहुंचता है किन्तु पहले भी पेयजल को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने की पूरी आचार संहिता थी, यह ध्यान देने योग्य है।

यह तथ्य सुविदित है कि अमरीका की नदियों में वैसा मीठा पानी नहीं है जैसा भारत की नदियों में है किन्तु वहां किसी भी नदी में कोई भी वस्तु डालना दण्डनीय अपराध हैं। उसमें प्रदूषण फैलाना अपराध माना जाता है। भारत में प्राचीन धर्मशास्त्रों में जल को प्रदूषित करना अपराध माना जाता था। मनु ने स्पष्ट कहा है कि जल में गन्दी चीज कभी न फेंकी जाए ''नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा समुत्सृजेत्। अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा।'' (मनुस्मृति 4/56)। मूत्र, विष्ठा, थूक अथवा अन्य कोई भी बाहरी चीज जल में न फेंकी जाए, यह इससे स्पष्ट है।

आज की आवश्यकता

आज के युग में स्वच्छ जल दिनों दिन बीतता जा रहा है, सबसे पहली मांग यही है कि जल की अधिकाधिक बचत की जाए, वर्षा का जल संगृहीत कर शुद्ध रखा जाए, उसे शुद्ध रखने के प्रकारों की जानकारी प्रसारित की जाए, नदियों, नालों, नहरों आदि में किसी भी प्रकार के प्रदूषण पर प्रतिबन्ध हो, यह प्रतिबन्ध केवल समाज द्वारा या विधि द्वारा ही नहीं लगाया जाए, अपितु धर्म के द्वारा भी लगाया जाए।

नदियों, जल स्रोतों और शुद्ध पेयजल के भण्डारों को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु यह विधान करने का समय अब आ गया है कि उनमें कोई भी बाहरी वस्तु न डाली जाए। आपकी अन्तरआत्मा इसका अनुमोदन अवश्य करेगी, इसी आशा से यह निवेदन किया गया है। •

शेष सभी छायाचित्र : सुजस

सभी छायाचित्र : सुजस

गांव और ढाणियों तक पहुंचा मीठा पानी

राज्य सरकार के प्रयासों से जयपुर जिले की फुलेरा तहसील के गांवों व ढाणियों को बीसलपुर पेयजल परियोजना से जोड़कर इन क्षेत्रों में मीठा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक जोबनेर-किशनगढ़ व 58 गांवों और उनकी 300 ढाणियों को बीसलपुर पेयजल परियोजना से जोड़कर लाभान्वित किया जा चुका है। शेष गांवों और कस्बों में भी जल्द ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने लगेगा।

गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रमुख शासन सचिव रजत कुमार मिश्र ने इस परियोजना के कार्य का निरीक्षण किया और कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए। वर्तमान में 8 टीमें विभिन्न गांवों में कार्य कर रही हैं।

जिले के किशनगढ़-रेनवाल व ज्यादातर गांव जैसे बधाल, मुंडियागढ़, ईटावा, बाघावास, त्योदा, त्योद, भादरपुरा, रोजड़ी, हिरनोदा, काचरोदा, करनसर, हरसोली, पीपली का बास, सिनोदिया, जोरपुरा आदि गांवों में पेयजल की भारी कमी थी और उपलब्ध पानी में फ्लोराइड व टी.डी.एस. की मात्रा बहुत ज्यादा थी। ऐसे में बीसलपुर पेयजल परियोजना से क्षेत्रवासियों को मीठा पानी मिलने लगा है।

उल्लेखनीय है कि जयपुर जिले की फुलेरा तहसील के 173 गांवों व 2 कस्बों में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना का कार्यादेश जारी किया गया था। इसके तहत फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के 106 गांवों एवं कस्बों, किशनगढ़-रेनवाल तथा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 67 गांवों एवं जोबनेर कस्बे को पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में परियोजना का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है और शेष काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना के अन्तर्गत 3 स्वच्छ जलाशय सांभर, जोबनेर एवं मुंड़ियागढ़ तथा 28 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही 1800 पीएसपी, 120 सीडब्ल्यूटी, 155 वीटीसी का निर्माण कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। •

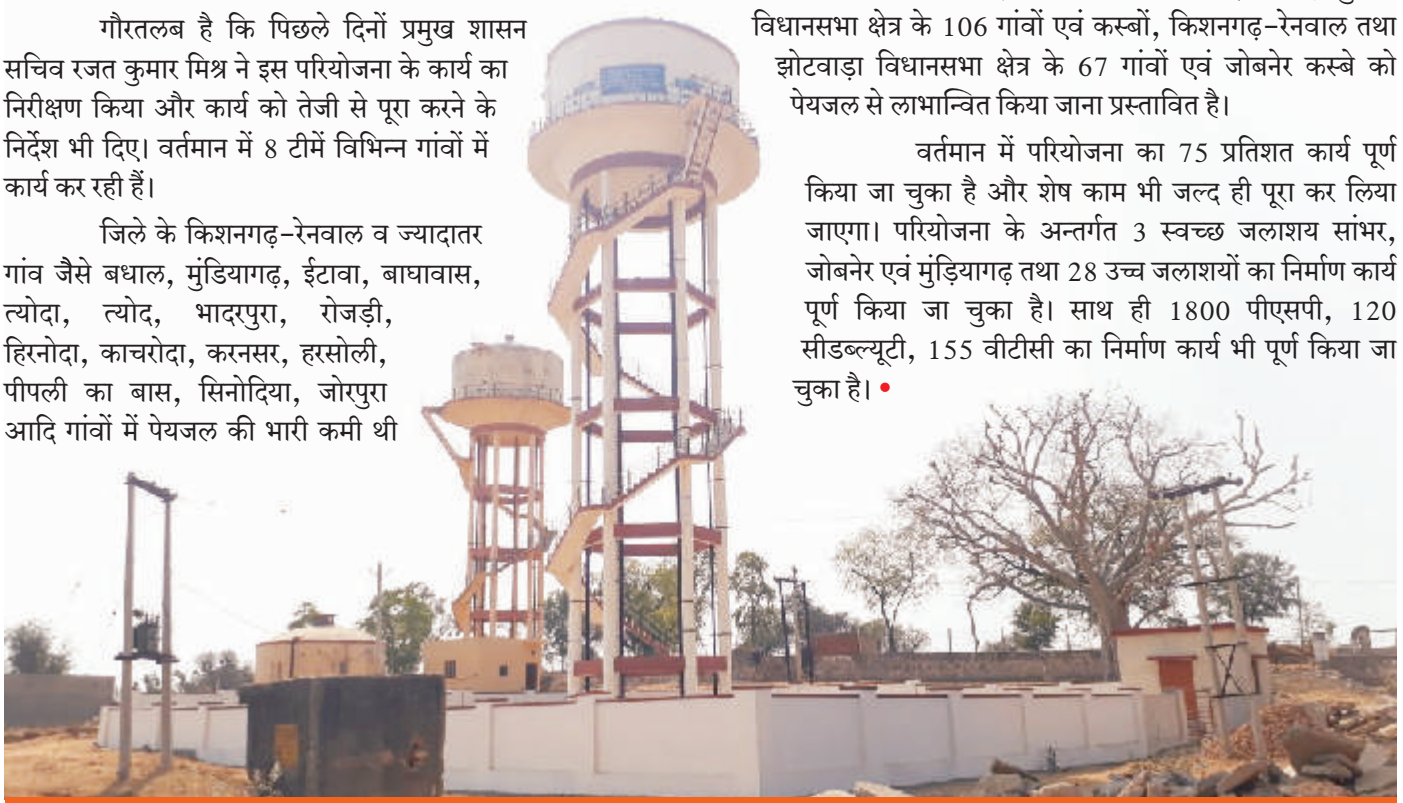

सभी छायाचित्र : सुजस

चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना से पहुंचा मीठा नीर

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे एवं जलदाय मंत्री सुरेन्द्र गोयल के अथक प्रयासों से भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील के आसपास के गांवों तक चम्बल का मीठा नीर पहुंचने लगा है। 'चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना' के जरिए शाहपुरा कस्बा एवं तहसील के 80 गांवों की डेढ़ लाख से ज्यादा जनसंख्या को लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें शेष गांवों में भी जल्द ही शुद्ध चम्बल पेयजल उपलब्ध होने लगेगा।

पिछले दिनों जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा परियोजना के कार्य का निरीक्षण कर कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों के अनुसार परियोजना का शुद्ध जल शाहपुरा शहरी एवं ग्रामीण, कनेछनकलां एवं नई अरवड एवं बच्छखेड़ा पम्पिंग स्टेशन तक पहुंच चुका है। शीघ्र ही इसके आस-पास के गांवों तक भी शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा।

उल्लेखनीय है कि जिले के शाहपुरा तहसील के बड़े गांव जैसे आमलीकलां, अरनियाघोड़ा, तापपुरा, दौलतपुरा, बोरड़ा, खामोर, सालरिया खुर्द, कोठिया, फुलियाकलां, तहनाल, रूपपुरा आदि में पेयजल की भारी कमी थी और गहराई में उपलब्ध पानी गुणवत्ता विहीन होने से पीने योग्य भी नहीं था। ऐसे में चम्बल परियोजना से इन क्षेत्रवासियों को मीठा पानी मिलने लगा है।

भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील के 150 गांवों व शाहपुरा कस्बे में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए चम्बल परियोजना फेज-द्वितीय पैकेज पंचम का कार्यादेश जारी किया गया था। इसके तहत शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के 150 गांवों एवं शाहपुरा कस्बे को पेयजल से लाभान्वित किया जाना है।

वर्तमान में 198.98 करोड़ रुपये की स्वीकृति के विरुद्ध परियोजना में 158.87 करोड़ रुपये व्यय कर 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना के अन्तर्गत 4 स्वच्छ जलाशय, 34 उच्च जलाशय एवं 5 पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही 2 हजार 508 पीएसपी, 501 सीडब्ल्यूटी एवं 150 वीटीसी का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। अभी पैकेज के कमीशनिंग का कार्य चल रहा है, जो शीघ्र ही पूरा कर तहसील के सभी 150 गांवों में चम्बल का पानी मुहैया करा दिया जाएगा। •

विलुप्त सरस्वती नदी

प्रदेश में जल का प्राकृतिक संसाधन

पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में विलुप्त सरस्वती नदी प्रदेश के ''जल स्वावलम्बन'' के सपने को साकार करने का प्राकृतिक संसाधन है। वैदिक युग की यह वेगवती एवं विराट जल राशि वाली नदी मरुभूमि की प्राच्य सभ्यता-संस्कृति की ''धाती'' रही है। लेकिन प्राकृतिक व भूगर्भीय कारणों से इसके लुप्त हो जाने के पश्चात भी अवशेष प्रवाह (पेलियो चैनल) एवं उप-प्रवाह के रूप में गहराई में आज भी जगह-जगह पर अथाह जल राशि का उपलब्ध होना आश्चर्य एवं शोध का विषय है।

प्रदेश के सीमावर्ती मरुक्षेत्र में कुछ स्थलों पर नदी के बहाव क्षेत्र की ड्रिलिंग में मीठे पानी का मिलना सौभाग्य की बात है। सरस्वती नदी के भूतल में स्थित अथाह पुरा जल सम्पदा का मरुक्षेत्र के विकास, बहुआयामी उपयोग तथा भूमिगत जल प्रवाह मार्ग की खोज मील का पत्थर साबित हो रही है। सरस्वती नदी कोई मिथक नहीं है, बल्कि इसके वैज्ञानिक साक्ष्य निरन्तर मिलते जा रहे हैं। इस क्रम में बैंगलोर स्थित जे.एल.एन. सेन्टर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च संस्थान के प्रो. के.एस. वालिया के नेतृत्व में गठित कमेटी की रिपोर्ट को हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक किया है।

गौरतलब है कि 8 किमी. चौड़ी वेगवती सरस्वती नदी 6000-4000 ई. पूर्व अस्तित्व में थी। पश्चिमी राजस्थान में इसकी अनेक वितरिकाएं मौजूद हैं। वर्तमान में आमतौर पर सूखी रहने वाली मारवाड़ की लूनी, जोजरी, सूकड़ी, गुहिया बाण्डी आदि नदी-नालों की जलापूर्ति सरस्वती नदी से ही होती थी। जैसलमेर-बाड़मेर जिलों के मरुस्थल में हजारों वर्षों पुराने जलीय जीवों के उपलब्ध जीवाश्मों, घग्घर नदी में बाढ़ के हालात तथा बीकानेर शहर के उत्तरी हिस्से में वर्षों से खनन में आज भी 'बजरी' का मिलना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मरुक्षेत्र में औसतन 10 वर्षों में एक बार आने वाली भयंकर बाढ़ की अथाह जल राशि को ''जल स्वावलम्बन'' के तहत इन चिन्हित अवशेष चैनलों से जोड़ कर रिचार्ज किया जा सकता है। इस क्षेत्र की मिट्टी में पानी को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता की वजह से यह अमूल्य जल राशि विलुप्त नदी के प्राकृतिक चैनलों में ज्यादा समय तक स्थम्भन कर सकेगी।

राजस्थान सरकार ने इसकी खोज और नदी के ''जीवाश्म नेटवर्क'' के पुनर्जीवन पर एक विस्तृत परियोजना तैयार कर केन्द्र सरकार

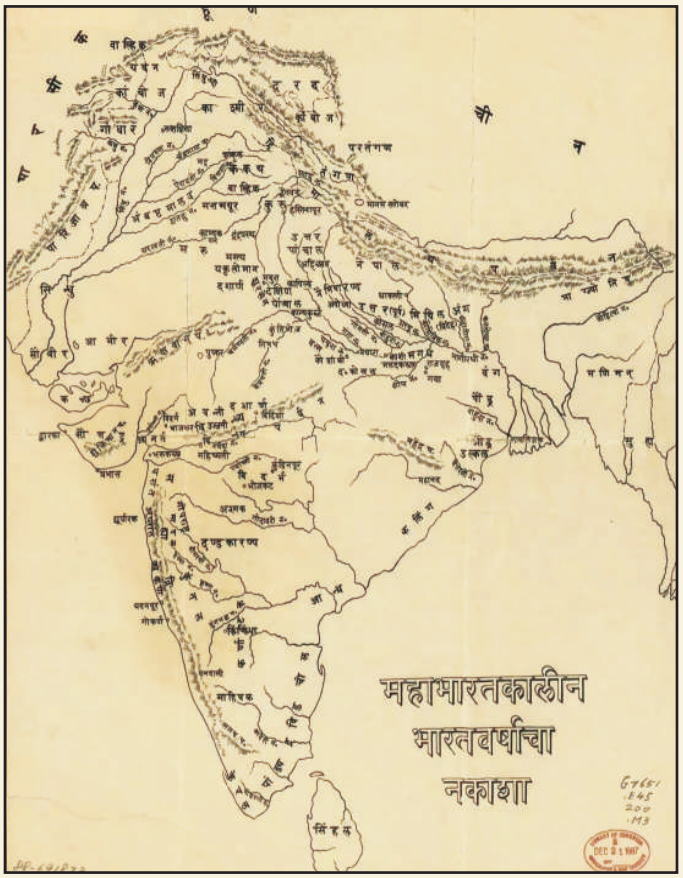

को भेजी। इस क्रम में 70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी मंजूर हो चुकी है। बाड़मेर जिले के बायतु क्षेत्र के झाख, उण्डू, कानासर, भिंयाड, चौखला, भीमाडा, बाटाडू, काश्मीर, नागरदा, सिंगोड़िया, खेड, मौखाब सहित अनेक गांवों का अध्ययन एक दल कर चुका है।

नदी इतिहास व उद्गम के अनुसार प्राचीन काल में हिमालय के फतेह एवं पंचगाई पर्वत प्रदेश के उत्तरकाशी जिले में समुद्रतल से 3566 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल अवस्थित है। हर की धुन ग्लैशियर के पश्चिमी ढलान से उतरने वाली मुपिन एवं रूपिन नालों के नेटवाड़ा में संगम पर टौस नदी बन कर सतलुज नदी के रूप में रोपड़ के पास तीखा घूम कर अन्य धाराओं के साथ मिलते सरस्वती नदी बहती थी। यह

जाखल, कालीबंगन होकर वर्तमान की घग्घर नदी के रूप में आगे बढ़ते हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों के पश्चिमी भू-भाग में बहते कच्छ के रण में गिरती थी। एक धारा पठानकोट एवं दूसरी धारा थानेसर कुरूक्षेत्र होकर भी सरस्वती नदी में मिला करती थी।

लेकिन भौगोलिक कारणों के समायोजन से हिमालय के हरिद्वार एवं दिल्ली सहित निरन्तर ऊपर उठने तथा अरावली क्षेत्र के नीचे धंसते रहने से शनै: शनैः सतलुज नदी ने रोपड़ के पास नारकण्डा, रामपुर के मध्य अपना रूख बदल कर बिलासपुर होते लुधियाना के पास से बहावलपुर (अब पाकिस्तान में) हो सिन्धु नदी में मिलने लगी। इस क्रम में सरस्वती नदी शहबाद, कुरूक्षेत्र, नारकण्डा, थानेसर की तरफ के जल प्रवाह से भी कट गई। अब स्रोत की जल राशि ने अपना मार्ग बदल यमुना नदी की ओर कर लिया। इस विशाल सरस्वती नदी ने कालान्तर में अपने हिमालयी जल स्रोतों से कट कर अपना वजूद खो दिया। वास्तव में जो भी कारण रहा हो लेकिन यह तो स्पष्ट है कि सरस्वती नदी शिवालिक की पहाड़ियों की छोटी-छोटी जल धाराओं पर ही आश्रित हो गई। नदी का बहाव विस्तार कच्छ से सिमट कर अनूपगढ़ तक ही रह गया, जो कि वर्तमान में घग्घर नदी का रूप है।

सर्वप्रथम नदी खोज की परिकल्पना अंग्रेज अभियन्ता सी.एफ. ओल्डहेम ने सन् 1893 में की थी। सरस्वती नदी खोज के क्रम में सन् 1970 में पश्चिमी राजस्थान के मरुक्षेत्र का भू-उपग्रह के माध्यम से प्राप्त श्वेत-श्याम चित्रों में विलुप्त हो चुकी इस महानदी के भू-जल भण्डार होने के सर्वप्रथम संकेत मिले। तत्पश्चात वर्ष 1972 में नदी खोज की योजना बनी। केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण ने नदी खोज के लिए भूमिगत जल प्रणाली की निगरानी बाबत अनेक केन्द्रों की स्थापना का महत्त्वाकांक्षी कार्य हाथ में लिया। जी.आई.एस. डेटाबेस का उपयोग करते हुए सरस्वती नदी मार्ग के नक्शे तैयार करने एवं जैसलमेर व बाड़मेर में कुओं की खुदाई का कार्य किया जा रहा है। कुल 72 कुओं की खुदाई की जानी है जिसमें से अब तक 55 कुएं खोदे जा चुके हैं। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 4 वर्षीय योजना तैयार की है। उस वक्त मिशन के लिए 88 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया।

जोधपुर के केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) परिसर में स्थित दूर संवेदी उपग्रह केन्द्र के द्वारा वर्ष 1990 में उपग्रह के माध्यम से मरुक्षेत्र में नदी संस्कृति की खोज के लिए गए रंगीन चित्रों ने जल भण्डार की पुष्टि की। इस अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार हिमालय से 3-12 किमी. चौड़ी एवं लगभग 1600 किमी. लम्बी देश की यह महानदी किसी जमाने में वेगवती थी लेकिन जल बहाव कालान्तर में भौगोलिक कारणों से बदल कर पूर्व बहाव क्षेत्र विशालकाय बालू के टीबों से ढक कर लुप्त है।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अधीन देश में पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में संचालित तत्कालीन 'राजीव गांधी पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन' के तहत जैसलमेर से हनुमानगढ़ तक के 8 क्षेत्र चिन्हित किए गए। इस क्रम में प्रथम चरण में जैसलमेर जिले के दो तथा बीकानेर जिले के एक स्थल पर ड्रिलिंग प्रारम्भ कर तलछट व भू-जल के नमूने एकत्रित करना था। राज्य के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के तनोट-रनुआ, जयसुराना-मालिगार तथा कोलायत-दियामरा, नोखड़ा, रावतनेरी क्षेत्रों में ड्रिलिंग सम्पन्न होनी थी। चिन्हित स्थलों में जैसलमेर जिले के रामगढ़ के तनोट की तरफ 17 किमी. रनऊ गांव में सर्वप्रथम नवम्बर, 1998 के अन्त में ड्रिलिंग का कार्य प्रारम्भ हुआ। तब हजारों वर्षों पुराने अथाह मीठे जल के भूमिगत भण्डार होने के प्रमाण मिले। इस कार्य में रोटरी रिंग के 14 मीटर गहराई पर बार-बार टूटने से बाधा आती रही जिससे मिट्टी-पानी के पर्याप्त नमूने प्राप्त नहीं हो पाए।

इसी बीच परियोजना से जुड़ी इकाई ने परतदार तलछट (कोर) निकालने का नया उपकरण मंगवाकर अन्य चिन्हित स्थल 'नाथुडाबेरा' में ड्रिलिंग की लेकिन वह क्षेत्र नदी जल-धार पट्टी के बाहर पाया गया। जैसलमेर जिले के 1700 वर्ग किमी. नदी जल संग्रहण क्षेत्र के भू-भौतिकीय व भू-जल विज्ञान सर्वे के अनुसार नदी जल प्रवाह पट्टी में खुदे नलकूपों में तो मीठा पानी मिला जबकि जल पट्टी के 100 किमी. चौड़े क्षेत्र की पट्टी के दोनों ओर अत्यधिक लवणयुक्त खारा पानी मिला। प्रायोगिक तौर पर की गई खुदाई के दौरान मात्र 30 मीटर गहराई में भी मीठे पानी का भण्डार मिला।

प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में वर्ष 1999-2000 तक भूमिगत तलछट (मिट्टी) एवं भू-जल के नमूनों को मुम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.) भी भेजे गए ताकि नमूनों में विद्यमान 'कार्बन तत्वों' की आईसोटोपिक पद्धति से विश्लेषण (कार्बन डेटिंग) कर 'जल के नमूने' की पौराणिकता का निर्धारण किया जा सके। इस कार्य में मुम्बई स्थित बी.ए.आर.सी. सहित केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के साथ अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला एवं अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र तथा जोधपुर स्थित राज्य भूजल बोर्ड, दूर संवेदी उपग्रह केन्द्र एवं 'काजरी' का परस्पर समन्वयन एवं सहयोग रहा।

पश्चिमी राजस्थान के अनेक ब्लॉकों के भूजल का वार्षिक उपभोग इनके पुनर्भरण से अधिक है जो कि डार्क जोन है। कुछ ब्लॉकों का तो भूजल स्तर निरन्तर कम होता जा रहा है एवं पुनर्भरण बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। राजस्थान सहित देश के सात राज्यों में चिन्ताजनक स्तर तक पहुंच चुके भूजल का संरक्षण एवं इसका स्तर बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की 6000 करोड़ रुपये की 'अटल भूजल योजना' अप्रेल, 2018 से शुरू की है जो ''सरस्वती नदी खोज'' एवं ''जल स्वावलम्बन'' में सहयोगी सिद्ध हो सकती है। आदिबद्री (हरियाणा) से धोलावीरा (गुजरात) पश्चिमी राजस्थान से होकर बहने वाली पौराणिक सरस्वती नदी ही है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने भी सरस्वती नदी खोज के लिए आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड का गठन किया है। •

आलेख व छाया : **पी.आर. त्रिवेदी**
प्रभारी, राजस्थान सूचना केन्द्र, मुम्बई

औद्योगिक संस्थान निभा रहे हैं शुद्ध पेयजल की जिम्मेदारी

आलेख व छाया : **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा**, पूर्व जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर

राजस्थान में देश में उपलब्ध जल स्रोत का एक प्रतिशत ही जल और दो तिहाई हिस्सा रेगिस्तानी होने से प्रदेशवासियों को शुद्ध पेयजल की समस्या रही है। पहले से ही पानी की कम उपलब्धता के बावजूद पानी के अत्यधिक दोहन से भूमिगत जल स्तर में निरंतर गिरावट के कारण प्रदेश का अधिकांश हिस्सा डार्क जोन में आया हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से जल संरक्षण के योजनाबद्ध प्रयास किए गए हैं, उनके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। नर्मदा और यमुना का जल राजस्थान में लाने के ठोस प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में पानी की उपलब्धता बढ़ी है। सबसे अच्छी बात है कि जल संरक्षण और प्रदेशवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मुहिम में प्रदेश के औद्योगिक संस्थान आगे आए हैं। कॉर्पोरेट सोशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निभाते हुए ये संस्थान अपने कार्यक्षेत्र व आसपास के इलाकों में पेयजल उपलब्ध कराने में सरकार के साथ भागीदार बन रहे हैं। इस पुनीत कार्य को अमली जामा पहनाने में राजस्थान का उद्योग एवं सीएसआर विभाग समन्वयक की भूमिका निभाते हुए उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है।

उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री राजपाल सिंह शेखावत समय-समय पर औद्योगिक संस्थानों से सीधा संवाद कायम कर सीएसआर गतिविधियों को विस्तारित कराने का प्रयास करते रहे हैं। राज्य सरकार के सीएसआर विभाग द्वारा दो समिट का आयोजन कर औद्योगिक घरानों की सीएसआर में हिस्सेदारी बढ़ाने के सकारात्मक प्रयास किए हैं। सीएसआर समिट के दौरान सीएसआर में उल्लेखनीय कार्य करने वाली कम्पनियों

को राज्य स्तर पर सम्मानित करने के साथ ही परस्पर समन्वय और सहयोग का वातावरण तैयार किया गया है। आयुक्त उद्योग एवं सीएसआर कृष्ण कुणाल द्वारा सीएसआर गतिविधियों को और अधिक विस्तारित करने के निर्देशों से सीएसआर की नई दिशा तय हो सकेगी। राज्य में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने व जल संरक्षण कार्यों में केयर्न इण्डिया, अंबुजा सीमेंट, बॉश, जेके टायर, राजस्थान स्पिनिंग व विविंग मिल्स, हिन्दुस्तान जिंक, इण्डिया सीमेंट, इनटेक फार्मा, न्यूक्लियर पावर, इण्डियन ऑयल सहित कई औद्योगिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक दायित्व निभाते हुए उल्लेखनीय योगदान दिया जा रहा है। केयर्न इण्डिया द्वारा बाड़मेर जिले में करीब 100 करोड़ रुपये की लागत की 2022 तक संचालित होने वाली परियोजना का संचालन किया जा रहा है।

जीवन अमृत परियोजना

बाड़मेर जिले में जल स्तर का अत्यधिक नीचे होना और उपलब्ध जल में 3000 तक टीडीएस होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसी स्थिति में जिले के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केयर्न इण्डिया आगे आई है। सरकार के सहयोग व समन्वय से केयर्न इण्डिया जनवरी, 2015 से मार्च, 2022 तक की 100 करोड़ की लागत की परियोजना पर काम करते हुए जीवन अमृत योजना का संचालन कर रही है। जीवन अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य जिले के वाशिंदों को उनके निवास के एक किलोमीटर के दायरे में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल बड़ा होने और दूरदराज ढाणियों में आबादी बसे होने से जल की उपलब्धता अधिक चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद बाड़मेर के 800 गांव-ढाणियों में रहने वाले लोगों तक शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में 330 आरओ प्लांट लगाकर शुद्ध पेयजल सुलभ कराने का लक्ष्य है। इसके साथ ही जल रथ के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इनका संचालन भी स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता से किया जा रहा है। जीवन अमृत परियोजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ ही जलजनित बीमारियों की रोकथाम सम्भव हो पाई है। बाड़मेर जिले के नागरिकों के लिए जीवन अमृत परियोजना वरदान सिद्ध हो रही है।

हिन्दुस्तान जिंक द्वारा उदयपुर में सीपीटी लगाने के साथ ही उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चरों के निर्माण के साथ ही एनिकटों का निर्माण कराकर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है।

आरओ प्लांट

जयपुर के आसपास सांगानेर व बस्सी तहसील के फ्लोराइड प्रभावित गांवों में बॉश कम्पनी द्वारा आरओ प्लांट्स लगाने की पहल की गई है। पहला आरओ प्लांट गोनेर में लगाया गया। सीएसआर के तहत बॉश द्वारा गोनेर के बाद श्रीराम की नांगल, सिरोली, भूरथल, मोहनपुरा,

वाटिका, विधानी, अशवाला, मुहाना और सांभरिया में आरओ प्लांट के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। करीब डेढ़ करोड़ की परियोजना में 50 प्रतिशत से अधिक काम हो चुका है।

इंटेक फार्मा द्वारा पाली जिले की बर पुलिस चौकी और कस्तूरबा आवासीय स्कूल को आरओ सिस्टम उपलब्ध कराया है। इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा सीएसआर के तहत जयपुर के सेठ आनंदीलाल मूक बधिर विद्यालय में बोरवैल लगाया है।

न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा चित्तौड़गढ़ के जूझाला, लसाना, रतनपुरा, मंडेसरा, खलगांव, चेनपुरा, बहेलिया, कोलपुरा, नाली, फुटपाल, डांगडमउ खुर्द, गणेशपुरा और दूध तलाई आदि गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर टैंक, बोरवैल, पम्पिंग व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। बांसवाड़ा के तलवारा ब्लॉक के नोखला में पेयजल जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया है। बांसवाड़ा के ही घाटोल, थाना, हुरडा सेजा आदि गांवों में राजस्थान स्पिनिंग एवं विविंग मिल्स द्वारा अन्य कार्यों के साथ ही पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अंबुजा सीमेंट द्वारा पाली के राबड़ियावास, नागौर के मारवाड़ मूंडवा और झुंझुनूं के चिड़ावा इलाके के 150 गांवों में सशक्त जल प्रबन्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से लाखों किसानों को पीने और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ी है।

जे. के. टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा सेवा कार्यों के तहत पंचायत सचिव, सरपंच, अध्यापकों और ग्रामीणों से समन्वय कर वाटर टैंक, हैण्डपम्पों की मरम्मत, जल वितरण के लिए पाइप लाइन व्यवस्था आदि में सहयोग किया जा रहा है। •

सरकार की संवेदनशीलता में मददगार बनी सूरज की किरणें

बांसवाड़ा में सूरज पहुंचा रहा है पानी

छायाचित्र : सुजस

सूरज की तेज किरणें अथाह जल राशि को भी सोख लेती हैं लेकिन जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले की बिखरी बस्ती, मजरे और ढाणियों में निर्बाध रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में रोशनी के असीम स्रोत सूर्य की तपन बड़ी मददगार साबित हो रही है।

यूं तो सूरज की तेज किरणें अथाह जल राशि को भी सोख लेती हैं लेकिन जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले की बिखरी बस्ती, मजरे और ढाणियों में निर्बाध रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में रोशनी के असीम स्रोत सूर्य की तपन बड़ी मददगार साबित हो रही है। जनजाति अंचल की इन बिखरी बस्तियों के निवासियों के हलक को तर करने में सूर्य की किरणों की मदद से राज्य सरकार की संवेदनशील सोच को मूर्त रूप प्रदान करने का माध्यम बना है – बांसवाड़ा का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिसने इस क्षेत्र में शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने के लिए जिले की 25 ढाणियों में सौर ऊर्जा से संचालित सोलर बोरवैल प्लान्ट (सोलर पनघट) को स्थापित किया है।

क्षेत्रीय आवश्यकताओं को अनुभूत करते हुए हर गांव-ढाणी तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की मंशा को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के तहत जिले की चुनिंदा 25 ढाणियों में सौर ऊर्जा से संचालित सोलर बोरवैल प्लान्ट को स्थापित किया गया है वहीं जिले के गुणवत्ता प्रभावित 189 समस्याग्रस्त मजरे-ढाणियों के लिए 189 सोलर ऊर्जा से संचालित सोलर डीफ्लोरीडेशन यूनिट प्लान्ट की स्थापना भी की गई है।

गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए हुई पहल

जिले के जिन क्षेत्रों में भू-जल स्तर अधिक है एवं भू-जल गुणवत्ता प्रभावित नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से संचालित बोरवैल प्लान्ट की स्थापना की गई है। सोलर बोरवैल प्लान्ट के अन्तर्गत फोटोवोल्टिक सैल पैनल, सौर ऊर्जा से संचालित पम्प मोटर एवं पानी भरने के लिए 5000 अथवा 2000 लीटर के पी.वी.सी. टैंक की स्थापना की गई है। सूर्य की किरणें सोलर पैनल पर पड़ती है तो पैनल में लगे फोटोवोल्टिक सैल सूर्य की किरणों को करन्ट में बदल देते हैं, जिससे बोरवैल में स्थापित सबमर्सिबल पम्प मोटर चालू हो जाती एवं टंकी को भरकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

ऐसे क्षेत्र जहां भू-जल में रासायनिक अशुद्धि के रूप में फ्लोराइड हैं, उन क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा से संचालित सोलर डीफ्लोरीडेशन यूनिट प्लान्ट की स्थापना की गई हैं जिसमें ग्रामवासियों को पी.एस.पी. के माध्यम से फ्लोराइड रहित शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। •

बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना से पहुंचा पानी

सदानीरा चम्बल के समीप बसे होने के बावजूद वर्षों से पेयजल की समस्या का सामना करते आ रहे कोटा जिले के बोरावास-मण्डाना क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए वर्ष 2018 खुशियों की सौगात लेकर आया। जब उनके घरों में चम्बल नदी का पानी पहुंचा तो मानो सारे सपने साकार हो गए।

राज्य सरकार द्वारा कोटा जिले के 60 गांवों एवं 21 ढाणियों की पेयजल समस्या के स्थाई निराकरण हेतु वर्ष 2012-13 में स्वीकृत की गई बोरावास-मण्डाना पेयजल परियोजना के लिए 11804 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। कार्य की धीमी गति को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के निर्देशन में जिला प्रशासन एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से गांवों में अब टैंकरों के बजाय सीधा नलों के माध्यम से पानी पहुंच रहा है। योजना के तहत पाइप लाइन डालने के क्षेत्र में मुकन्दरा टाइगर रिजर्व एवं अकेलगढ़ स्थित पानी लिफ्ट का क्षेत्र चम्बल घड़ियाल अभयारण्य में आने से वाइल्ड लाइफ बोर्ड से अनुमति उपरान्त सैन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी से वर्ष 2015 में अनुमोदन कराया गया।

बोरावास-मण्डाना परियोजना में लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र के 31 गांव, 17 मजरे, रामगंजमण्डी विधानसभा क्षेत्र के 26 गांव 3 मजरे एवं सांगोद विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव लाभान्वित होंगे। लाभान्वित होने वाले गांवों में 10 गांव वर्तमान में नगर निगम सीमा क्षेत्र में शामिल हैं। परियोजना के तहत कोटा में चम्बल नदी पर अकेलगढ़ हैड वर्क्स में इन्टैक पम्प का नवीनीकरण कार्य, पम्पगृह एवं जल शोधन संयंत्र का नवीनीकरण, मुख्य राइजिंग कलस्टर वितरण प्रणाली एवं ग्रामीण वितरण प्रणाली का कार्य, ग्राम रानपुर एवं मण्डाना में स्वच्छ जलाशय एवं पम्प गृह का निर्माण कार्य तथा 17 स्थानों पर उच्च जलाशयों के निर्माण कार्य, स्विच यार्ड के निर्माण कार्य सम्पादित किए गए हैं।

यह ग्रामीण क्षेत्र शहर के नजदीक होने के साथ-साथ सदानीरा चम्बल नदी के भी समीप होने से ''कुएं पर बैठे प्यासे व्यक्ति के समान'' की कहावत ग्रामीणों पर चरितार्थ हो रही थी। ग्रीष्मकाल में गांवों में टैंकरों से पेयजल सप्लाई पर ही ग्रामीणों को आश्रित रहना पड़ता था। पशुपालकों को प्रतिवर्ष अपने पशुओं को लेकर गांवों से पलायन करना पड़ता था। अब इन समस्या से मुक्ति मिलने से गांवों के युवा, महिला व पुरुष सभी उत्साह से सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं।

गांवों में चम्बल का पानी पहुंचने पर लाड़पुरा विधायक भवानी सिंह राजावत ग्रामीणों के बीच उनकी खुशियों में शामिल हुए तो ग्रामीणों ने सरकार के प्रयासों को भागीरथ के समान बताते हुए कहा कि पेयजल की समस्या का निदान होने से अब विकास तेजी से होगा तथा सामाजिक पिछड़ापन भी दूर होगा। पहली बार गांव में नलों के माध्यम से घर बैठे शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर 60 से अधिक बसंत देख चुकी जगपुरा निवासी श्रीमती किशनी बाई व श्रीमती गोमा बाई ने बताया कि ''जीवन में पहली बार मोहल्लों में नलों से पानी आता हुआ देखा है ऐसा लग रहा कि चम्बल मैया ही घर आ गई हो, अब गर्मी के दिनों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा''। इसी प्रकार अमरलाल बंजारा व मोटा बंजारा ने बस्ती में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए नलों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रतिवर्ष टैंकरों पर रहने वाली निर्भरता से निजात मिलेगी।

बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के तीन कलस्टर बनाए गए हैं। दौलतगंज कलस्टर, जगपुरा कलस्टर एवं रानपुर कलस्टर में फरवरी से पेयजल वितरण टेस्टिंग के रूप में शुरू किया जा चुका है। सभी कार्य निर्धारित समय में पूरा करने हेतु जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। •

आलेख व छाया : **हरिओम सिंह गुर्जर**
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क कार्यालय, कोटा

बीसलपुर योजना से पुष्कर सरोवर हुआ गुलजार

गर्मी के मौसम में अक्सर 'तीर्थों का गुरु' कहे जाने वाले पुष्कर सरोवर में जल स्तर कम होने लगता है, जिससे न केवल सरोवर के जीव मौत का ग्रास बनने लगते हैं बल्कि आने वाले दर्शनार्थी भी बिना स्वच्छ पानी के दैनिक कर्म नहीं कर पाते हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जलदाय विभाग ने अहम कदम उठाते हुए बंद पड़े नलकूपों को चालू करवाकर न केवल सरोवर को सूखने से बचाया बल्कि श्रद्धा के केन्द्र को गुलजार किया।

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के निर्देशानुसार 'तीर्थ गुरु' के नाम से मशहूर पुष्कर कस्बे को बीसलपुर योजना से 30 लाख लीटर पानी प्रतिदिन की आपूर्ति की जाती थी, जिसमें से 3 लाख लीटर पानी पुष्कर को दिया जाता था। लेकिन गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी कम पड़ने लगा तथा पानी के जीव बचाना जरूरी था। सरोवर में पर्याप्त पानी के लिए 10 से 11 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती थी। विभाग ने इस समस्या के समाधान हेतु काफी अरसे से बंद पड़े नलकूपों को दोबारा शुरू करवाने की व्यवस्था दी।

जलदाय विभाग ने बन्द पड़े 8 में से 7 नलकूपों को ड्रिलिंग खंड की मशीनों से फ्लशिंग करवाकर चालू करवाया। इन नलकूपों से प्रतिदिन 8 लाख लीटर पानी प्राप्त हो रहा है। इस तरह बीसलपुर योजना से प्राप्त 3 लाख लीटर पानी और नलकूपों से मिला 8 लाख लीटर पानी यानी कुल 11 लाख लीटर पानी सरोवर में डाला जा रहा है। पानी की उपलब्धता से न केवल सरोवर में फिर से जलीय जीवों की अठखेलियां बढ़ गई वहीं दर्शनार्थियों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। जलदाय विभाग के प्रयासों को जिला प्रशासन ने भी खासा सराहा है। •

सभी छायाचित्र : सुजस

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान

रोजगार, पर्यावरण विकास और पलायन रोकने में कारगर

मदनसिंह काला, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण

प्रदेश के 12 मरुस्थलीय जिलों नागौर, चूरू, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनूं तथा जालोर में पानी का अभाव एक प्राकृतिक नियति रही है। पुराने समय में यहां के निवासी अपने स्तर पर ही अपने घरों व खेतों में जल कुण्डों (टांका) का निर्माण करवाते थे। इन टांकों में संगृहीत बरसाती जल से वे स्वयं के पीने तथा पशुओं आदि की आवश्यकता की पूर्ति किया करते थे। पूरे गांव के लिए नाड़ी, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण परमार्थ में सेठ-साहूकारों द्वारा करवाया जाता था। वर्तमान में जल आपूर्ति का दायित्व राज्य सरकारों का है।

राजस्थान में हर तीसरे वर्ष अकाल पड़ना एक नियति सी बन गई है। सरकार को ग्रीष्म काल में पानी की आपूर्ति के लिए दूर दराज पानी के स्रोतों से टैंकरों एवं ट्रेन द्वारा न केवल मरु राजस्थान बल्कि राज्य के अन्य भागों में भी पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस व्यवस्था पर भारी व्यय राजकोष से करना होता है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में महाराष्ट्र में एक अध्ययन दल भेजा जिसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान चला कर वर्षा के जल के संग्रहण एवं भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना का एक भाग रेगिस्तानी जिलों के लिए है। इसके अन्तर्गत लोगों की पुरानी जल संग्रहण तकनीक 'टांका निर्माण' को अपनाया गया। इस योजना में सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित जियो टैगिंग का प्रभावी प्रयोग कर अभियान को पारदर्शी बनाया गया।

प्रदेश में 27 जनवरी, 2016 से शुरू मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण के अन्तर्गत खेतों में 20 हजार 324 व पक्के घरों की छत को पायतन के रूप में काम में लेकर बनाए गए 7 हजार 278 कुल 27 हजार 602 टांकों का निर्माण 357.13 करोड़ की लागत से किया गया। इसी प्रकार अभियान के द्वितीय चरण का शुभारम्भ 9 दिसम्बर, 2016 से किया गया। इसके अन्तर्गत खेतों में 20 हजार 322 व पक्के घरों की छतों को पायतन के रूप में उपयोग कर 9 हजार 160 अर्थात कुल 29 हजार 482 टांकों का 373.55 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया गया। इन दोनों चरणों में कुल 57 हजार 84 टांकों का 730.71 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ।

इन 57 हजार 84 टांकों में 17531.5 लाख लीटर पानी का संग्रहण हर मानसून में एक वर्ष में उपयोग के बाद हो जाता है। इन टांकों की औसतन आयु 20 वर्ष है। इन रेगिस्तानी जिलों में इन टांकों के निर्माण से पहले अकाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा औसतन प्रतिवर्ष 12 हजार टैंकरों से पानी की आपूर्ति की गई जबकि वर्ष 2017 में मात्र 3 हजार 110 टैंकरों से पानी की आपूर्ति की गई।

बरसाती जल के समतुल्य आसुत जल (Distilled Water) का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर है जबकि टांकों के निर्माण की लागत के अनुसार एक मानसून में संगृहीत पानी का मूल्य 4 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर आता है। अभियान के तहत निर्मित टांकों में संगृहीत वर्षा जल का मूल्यांकन आसुत जल के मूल्य के आधार पर किया जाए तो टांकों के निर्माण की लागत से अधिक मूल्य का पानी एक ही मानसून में संगृहीत हो गया।

अभियान के दूरगामी लाभ मिलेंगे – अभियान के तहत टांके निर्माण में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभियान में बनने वाले टांकों के आसपास लाखों की संख्या में पेड़ पौधे विकसित होंगे जो पर्यावरण संतुलन के साथ ही सम्बन्धित काश्तकार के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होंगे।

अभियान में बनने वाले टांकों से पशुओं के लिए पानी की सुविधा बढ़ने से ग्रामीणों का पलायन भी रुकेगा और पशुधन की संख्या में भी वृद्धि होगी। ग्रामीणों के पलायन की दर में गिरावट आने से सम्बन्धित परिवार के बालकों की शिक्षण व्यवस्था भी सुचारु रह सकेगी। •

सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास कराया जाएगा

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए गए हैं। श्रीमती राजे 29 मई को बांसवाड़ा जिले के आनन्दपुरी में बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ जनसंवाद कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की 31 पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ निर्माण के साथ-साथ मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत 143 गांवों में 5 हजार से अधिक कार्यों पर 34 करोड़ रुपये खर्च किए गए। साथ ही 54 ग्राम पंचायतों में स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी तक क्रमोन्नत किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12 हजार से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं।

समस्या समाधान के निर्देश

श्रीमती राजे ने बागीदौरा क्षेत्र में शौचालयों के लम्बित भुगतान, सड़कों की खराब स्थिति और सार्वजनिक भवनों तथा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण आदि की शिकायतों को गम्भीरता से लिया और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने आनन्दपुरी के उपखण्ड एवं तहसील कार्यालय भवनों तथा गांगडतलाई के तहसील और पंचायत समिति भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने चौरडी में प्रस्तावित 132 केवी जीएसएस का शिलान्यास भी किया। श्रीमती राजे ने जनसंवाद के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लिया। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी तथा लैपटॉप वितरित किए और शुभशक्ति योजना, उज्ज्वला योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लोगों को लाभान्वित किया। •

त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा-अर्चना

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 31 मई को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। बांसवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा सुंदरी परिसर में संत-महात्माओं का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लिया। •

मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु की प्रतिमा का अनावरण

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 29 मई को मानगढ़ धाम में आदिवासियों के गुरु एवं समाज सुधारक श्री गोविंद गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने श्री गोविंद गुरु की आरती की और आदिवासियों में आजादी की अलख जगाने के लिए उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों के आशीर्वाद से हमें जीवन में कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता मिलती है। गोविंद गुरु एक ऐसे ही संत थे, जिन्होंने आदिवासी समाज में न केवल अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की अलख जगाई बल्कि समाज सुधार के लिए व्यापक कार्य किया।

श्रीमती राजे ने कहा कि राजस्थान सहित मध्यप्रदेश और गुजरात के लोगों की मानगढ़ धाम में गहरी आस्था है। उन्होंने संतों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया तथा धाम परिसर में कदम्ब का पौधा भी लगाया।

संग्रहालय के निर्माण में श्रमदान किया

मुख्यमंत्री ने करीब 9 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे जनजातीय

स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का अवलोकन किया और निर्माण कार्य में श्रमदान भी किया। •

किसानों के फसली ऋण माफ करने की बांसवाड़ा से शुरुआत

इतिहास की पहली सरकार जिसने किसानों का कर्जा किया माफ

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 'जय किसान-जय राजस्थान' के उद्घोष के साथ 31 मई को वागड़ की धरती पर प्रदेश में 29 लाख 30 हजार किसानों के करीब साढ़े 8 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण माफ करने की ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रदेश में 31 मई का यह दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में अंकित हो गया। मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउण्ड में किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र भी वितरित किए जिन्हें पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में यह पहली सरकार है जिसने किसानों का पचास हजार रुपये तक का कर्जा माफ किया जबकि पिछली दो केन्द्र सरकारों ने किसानों का मात्र दस-दस हजार रुपये तक का ही कर्जा माफ किया था।

किसानों के नये ऋण स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने जब किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र के साथ-साथ नया ऋण स्वीकृति का प्रमाण पत्र दिया तो उनके चेहरों पर दोहरी खुशी दिखाई दी। एक उनके 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ होने की तो दूसरी उन्हें नए ऋण के रूप में 50 हजार रुपये मिलने की। इस मौके पर सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की सोच एवं उनके ऊर्जावान नेतृत्व के कारण किसानों की कर्जमाफी जैसा निर्णय सम्भव हो पाया है। उन्होंने कहा कि 4 जून से पूरे प्रदेश में ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर लगाए जाएंगे।

2 हैक्टेयर से अधिक भूमिधारी किसानों का भी कर्जा माफ

श्रीमती राजे ने कहा इस योजना में लघु एवं सीमान्त किसानों के 30 सितम्बर, 2017 तक के ओवरड्यू ऋण पर बकाया ब्याज और पेनल्टी माफ करने के बाद शेष बचे ऋण में से 50 हजार तक का कर्जा माफ किया है। इसी प्रकार इस योजना में ऐसे किसानों का भी कर्जा माफ किया गया है जो लघु एवं सीमांत नहीं हैं और जिनकी भूमि 2 हैक्टेयर से ज्यादा है। ऐसे किसान का लघु किसान की जोत के अनुपात में 50 हजार रुपये तक ऋण माफ किया गया है।

कृषक ऋण राहत आयोग का गठन

उन्होंने कहा कि जो किसान ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें राहत देने के लिए ''कृषक ऋण राहत आयोग'' का गठन किया जा रहा है। ऋणधारक किसान इस आयोग के सामने अपना पक्ष रख सकेंगे जिस पर उसे मेरिट के आधार पर राहत मिल सकेगी।

देश में सर्वाधिक फसली ऋण देने वाला राज्य राजस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी उद्देश्य से हमने प्रदेश में पहली बार समर्थन मूल्य पर 8 हजार 900 करोड़ रुपये की फसल खरीद की है। सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल में इस साल के अन्त तक किसानों को 80 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित कर देगी, जो देश में सर्वाधिक होगा। हमने प्राथमिक भूमि विकास बैंकों से किसानों को मिलने वाले ऋण की ब्याज दर भी 12 प्रतिशत से घटाकर साढ़े पांच प्रतिशत की।

दो लाख कृषि कनेक्शन दिए, दो लाख और देंगे

श्रीमती राजे ने कहा कि सरकार ने चार सालों में दो लाख कृषि कनेक्शन दिए हैं। इतने ही कृषि कनेक्शन इस साल और दिए जाएंगे। हमारी सरकार ने साढ़े चार साल में किसानों पर बिजली की दरों में वृद्धि का भार नहीं पड़ने दिया है।

दुर्घटना पर बीमा क्लेम 20 गुना बढ़ाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में किसानों की दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थाई रूप से अंग-भंग होने पर केवल 50 हजार रुपये का बीमा लाभ मिलता था जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया है। इसी तरह पहले प्राकृतिक आपदा में 50 प्रतिशत खराबे पर सहायता मिलती थी जिसे किसानों के पक्ष में घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया है। सहायता राशि भी बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दी गई है।

बांसवाड़ा में 1 लाख 9 हजार किसानों के कर्ज माफ

उन्होंने कहा कि ऋण माफी योजना के तहत बांसवाड़ा जिले में 1 लाख 9 हजार किसानों के 250 करोड़ रुपये के कर्ज माफ होंगे। सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए बांसवाड़ा जिले में 410 करोड़ रुपये के काम कराए गए हैं। माही परियोजना से जुड़ी नहरों के सुदृढ़ीकरण पर 165 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि कुशलगढ़-सज्जनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 800 करोड़ रुपये की योजना की डीपीआर तैयार की गई है। दो माह में इस पर काम शुरू हो जाएगा।

बांसवाड़ा के लिए घोषणाएं

- काश्तकारों की लम्बे समय से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने में आ रही समस्या को दूर करने के लिए बांसवाड़ा जिले के ऐसे गांव जिनके राजस्व रिकॉर्ड में किस्म जमीन जंगल अंकित है, उनमें सैटलमेंट द्वारा फिर से सर्वे कराया जाएगा और जमीन की किस्म दुरुस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इससे क्षेत्र के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार, मकानों के पट्टे लेने, भूमि का संपरिवर्तन एवं नियमन किये जाने तथा ऋण लेने में सुविधा होगी।
- टीएसपी और सहरिया क्षेत्र के करीब 3 लाख बीपीएल परिवारों को हर महीने 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी। इस पर सरकार करीब 61 करोड़ रुपये अतिरिक्त वार्षिक भार वहन करेगी। •

आदिवासियों तक पहुंचाया विकास योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में बसे आदिवासियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे। देश में पहली बार हमारी सरकार ने ऐसी योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुरू की हैं जिनसे गम्भीर बीमारियों से पीड़ित गरीब आदिवासी ऐसे बड़े निजी अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिसके बारे में वे कभी सोच भी नहीं सकते थे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 30 मई को बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमने हमारे आदिवासी भाइयों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बिना किसी बिचौलिए के सीधा लाभ पहुंचाया है। लाभार्थियों से सीधी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि उनको विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कोकिला, दुर्गा, देव कुंवर, बिन्दु और ललित तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लाभार्थी हिमानी, कमलेश, नीलेश, रोशनी तथा बसंती से संवाद किया।

वागड़ में हुए विकास के ऐतिहासिक काम

श्रीमती राजे ने कहा कि बांसवाड़ा जिले में साढ़े चार साल में 6 हजार 500 करोड़ के विकास कार्य कराए गए हैं। इनमें से अकेले गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में 1100 करोड़ के काम हुए हैं। इस क्षेत्र की 44 ग्राम पंचायतों में 19 करोड़ रुपये से ग्रामीण गौरव पथ बनाए गए हैं और 42 माध्यमिक स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया गया है।

निःशुल्क इलाज पर 1800 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1 हजार 800 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इनमें से करीब 1300 करोड़ रुपये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना तथा 500 करोड़ रुपये निःशुल्क दवा योजना पर खर्च किए जा रहे हैं। श्रीमती राजे ने कहा कि राजस्थान में करीब 9 हजार 891 पंचायतों में से मात्र कुछ ही ग्राम पंचायतें ऐसी रह गई हैं जहां अब सरकारी सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। हमारी सरकार ने 5 हजार से अधिक पंचायतों में सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर और भी बढ़ेगा।

बालोदा पेयजल परियोजना के लिए एक करोड़ की घोषणा

मुख्यमंत्री ने बालोदा पेयजल परियोजना से जुड़े 6 गांवों में पानी के स्रोत में आपूर्ति घटने के चलते पेयजल की कमी को दूर करने के लिए एक करोड़ रुपये की घोषणा की। •

विकास योजनाओं में जनभागीदारी महत्त्वपूर्ण

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि प्रदेश के विकास में राज्य सरकार के साथ-साथ आम लोगों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों को विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनसंवाद का उद्देश्य है कि प्रबुद्धजन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के बारे में जानें, लाभार्थियों से रूबरू हों और दूसरे लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें।

श्रीमती राजे 31 मई को बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जनसंवाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों की सुविधाओं और कल्याण के लिए अच्छी योजनाएं बनाकर लागू कर सकती है लेकिन उनका लाभ अधिक से अधिक संख्या में पात्र लोगों को मिले, यह सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जरूरतमंदों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे इसके लिए स्थानीय लोगों को भी सामाजिक संस्थाओं आदि के माध्यम से प्रयास करने चाहिए।

जनसंवाद से मिलेगी विकास को गत

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कमला, लालू, कालू, मणी और राजू से उनकी बीमारी, विभिन्न अस्पतालों में हुए इलाज और बीमा योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से गरीब लोग बड़े-से-बड़े महंगे अस्पताल में नि:शुल्क इलाज लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लाभार्थियों यामिनी, तनुजा, मानवेन्द्र और जागृति तथा मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लाभार्थियों सोनल, लक्ष्मी, थावरी, जीवी और सुगना से भी संवाद किया।

श्रीमती राजे ने कहा कि बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार ने बीते साढ़े चार वर्ष में 1632 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए हैं। इस क्षेत्र की 63 ग्राम पंचायतों में से 30 पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ बनाए गए हैं तथा मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान के तहत लगभग 1000 जल संरक्षण कार्यों पर 40 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में 13 करोड़ रुपये खर्च कर लगभग 37 हजार मरीजों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं देकर लाभान्वित किया गया है।

सभी ग्राम पंचायतों में अब सीनियर स्कूल

मुख्यमंत्री ने कहा कि बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक स्कूल स्थापित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 1 लाख 48 हजार रुपये की सहायता राशि से हजारों परिवारों को लाभान्वित किया गया है। श्रीमती राजे ने मेधावी विद्यार्थी योजना और जनजाति क्षेत्र विकास योजना के तहत 6 छात्राओं को स्कूटी तथा शुभशक्ति योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

222 गांवों को पेयजल आपूर्ति का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री ने माही बांध से बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिलों के 334 गांवों को पेयजल आपूर्ति की वृहद् परियोजना के तहत 140 गांवों में पेयजल आपूर्ति का शुभारम्भ किया। साथ ही सुरवानिया बांध से 82 गांवों को पेयजल आपूर्ति की अन्य वृहद् परियोजना का लोकार्पण किया। •

सैटेलाइट अस्पताल में सुविधाओं का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुफ्त दवा योजना के लिए हमारी सरकार ने 500 करोड़ रुपये का बजट दिया है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में अब तक 1300 करोड़ रुपये से आमजन को उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई। इस प्रकार लोगों के निशुल्क इलाज पर 1800 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

श्रीमती राजे 4 जून को जयपुर में नागरमल पिस्ता देवी मणकसिया चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एसआर गोयल सैटेलाइट अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार और सवाई मानसिंह अस्पताल में नवीन कॉर्डियक कैथ लैब एवं न्यूरो सर्जरी विभाग में एक्सपेरिमेंटल लैब के उद्घाटन अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि यह समाज सेवा का ऐसा पुनीत कार्य है जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रदेश की बैकबोन

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनके विकास के बिना कोई प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। ये दोनों क्षेत्र किसी भी प्रदेश के विकास की बैकबोन है। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि दोनों ही क्षेत्रों में राजस्थान में बेहतरीन काम हुआ है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है, जिसे एक साथ पांच नए मेडिकल कॉलेज संचालित करने की स्वीकृति मिली है, ये पांचों कॉलेज इसी जुलाई माह से प्रारम्भ हो जाएंगे। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में हम 26वें स्थान से दूसरे पायदान पर आ गए हैं।

एसएमएस अस्पताल बना चिकित्सा का प्रमुख केंद्र

श्रीमती राजे ने कहा कि प्रदेश का सवाई मानसिंह अस्पताल अब पूरे देश में चिकित्सा का प्रमुख केंद्र बन गया है। दूर-दूर से लोग यहां इलाज करवाने आते हैं। इस अस्पताल को यहां तक पहुंचाने में भामाशाहों एवं चिकित्सकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एसएमएस अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम करने के लिए जयपुर के अन्य राजकीय अस्पतालों का भी आधुनिकीकरण कर वहां सुविधाओं का विस्तार किया है। उम्मीद है एसएमएस अस्पताल में न्यू हार्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी जल्द शुरू होगी।

जल्द शुरू होगा स्पाइनल इंजरी सेंटर

श्रीमती राजे ने कहा कि सवाई मानसिंह अस्पताल में आधुनिक कैंसर सेंटर तथा स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटर भी जल्द शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैंसर सेंटर में अत्याधुनिक लीनियर एक्सलरेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने एसएमएस अस्पताल के मुख्य भवन एवं ट्रोमा सेंटर को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे भूमिगत मार्ग का काम शीघ्र पूरा कर इसे चालू करने के निर्देश दिए।

आदर्श पीएचसी में बढ़ा 26 प्रतिशत आउटडोर

चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि राज्य सरकार ने बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी इलाकों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। सभी 295 ब्लॉक्स में आदर्श पीएचसी स्थापित की गई हैं। इससे इन पीएचसी में 26 प्रतिशत आउटडोर बढ़ा है। इसे देखते हुए अब 600 और पीएचसी को आदर्श बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शहरों में भी नई पीएचसी और सीएचसी खोली जाएंगी।

मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने अस्पताल में वातानुकूलित आपातकालीन इकाई एवं वातानुकूलित प्रथम तल का शुभारम्भ किया, जिसमें 7 बैड का आईसीयू, एक ऑपरेशन थियेटर, 4 बैड की इमरजेंसी यूनिट, 10 बैड का एसएनसीयू एवं 50 बैड के दो नए वार्ड शामिल हैं। उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल में नवीन कार्डियक कैथ लैब तथा न्यूरोसर्जरी विभाग में एक्सपेरीमेंटल लैब का भी उद्घाटन किया।

श्रीमती राजे ने एसआर गोयल सैटेलाइट अस्पताल शुरू करने के लिए भामाशाह गिरधारी लाल गोयल तथा सुविधाओं के विस्तार के लिए नागरमल पिस्तादेवी चेरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष नागरमल अग्रवाल का सम्मान किया। उन्होंने एसएमएस अस्पताल में कार्डियक कैथ लैब के लिए 25 लाख रुपए का योगदान देने पर प्रोफेसर एसआर धारकर को भी धन्यवाद दिया। •

प्रदेश में न्यूनतम दैनिक मजदूरी वृद्धि की घोषणा

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने 6 जून को सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश में श्रमिक वर्ग को बढ़ती हुई महंगाई से राहत देने के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है।

न्यूनतम मजदूरी की सभी श्रेणियों में 6 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार द्वारा 6 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी 207 रुपये से बढ़ाकर 213 रुपये, अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी 217 से बढ़ाकर 223 रुपये, कुशल श्रमिक की मजदूरी 227 से बढ़ाकर 233 रुपये एवं उच्च कुशल श्रमिक की मजदूरी 277 रुपये से बढ़ाकर 283 रुपये होगी। नई बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होंगी।

मुख्यमंत्री ने खण्डार विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद के दौरान कहा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य बीमा और निशुल्क दवा योजनाओं के माध्यम से अब तक 1835 करोड़ रूपये खर्च कर लगभग 21 लाख लोगों को निशुल्क इलाज से लाभान्वित किया है, जबकि राजश्री योजना के माध्यम से 10 लाख बेटियों को सामाजिक सुरक्षा दी है।

श्रीमती राजे ने कहा कि खण्डार विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार ने गत साढ़े चार वर्ष में 770 करोड़ रूपये के विकास कार्य कराए हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत लगभग 1400 जल संरक्षण कार्यों पर 47 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। न्याय आपके द्वार अभियान में इस विधानसभा क्षेत्र में 24 हजार से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए हैं।

खण्डार क्षेत्र को 147 करोड़ रुपये के कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद से पहले खण्डार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 147 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

श्रीमती राजे ने 21 करोड़ 69 लाख रुपये के लागत के ढील बांध व नहरों के जीर्णोद्धार कार्यों, 6 करोड़ रुपये की लागत से खण्डार महाविद्यालय के भवन निर्माण, 2 करोड़ 40 लाख की लागत से चौथ का बरवाड़ा में पंचायत समिति भवन, 2.7 करोड़ की लागत से चौथ का बरवाड़ा में तहसील भवन के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया।

श्रीमती राजे ने मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी तथा लैपटॉप वितरित किए। उन्होंने विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पालनहार योजना, शुभशक्ति योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना और उज्जवला योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। जनसंवाद से पहले उन्होंने चौथ माता मंदिर की देहरी पर धोक लगाई। •

जनकल्याणकारी योजनाओं से मिला सीधा लाभ

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा लोगों तक पहुंचाने के राज्य सरकार के प्रयास सफल हुए हैं। अब हम प्रदेशवासियों से इन योजनाओं के बारे में सीधा फीडबैक ले रहे हैं। 52 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद के बाद यह साफ है कि योजनाओं का शत-प्रतिशत पैसा बिना लीकेज के लाभार्थियों तक पहुंच रहा है।

श्रीमती राजे 7 जून को गंगापुरसिटी में बामनवास विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जनसंवाद कर रही थीं। कार्यक्रम के दौरान पेन्शनरों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, छात्रसंघ पदाधिकारियों, चिकित्सकों, व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इसके माध्यम से हम अपना फीडबैक सीधा मुख्यमंत्री को दे पा रहे हैं।

'आपकी बात सुनकर हमारी थकान दूर हो गई'

जनसंवाद के दौरान स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि यह बेहद लोकप्रिय और दिल को छू लेने वाला कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेहतरीन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। अब इन योजनाओं से प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति को जोड़ना और उस तक लाभ पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। इस पर मुख्यमंत्री ने लोगों का धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी बात सुनकर हमारी थकान दूर हो गई। जनता का यही स्नेह और समर्थन हमें काम करने की ऊर्जा देता है।

जनसंवाद के दौरान बौंली क्षेत्र से आए लोगों ने क्षेत्र में बीसलपुर से पेयजल की आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि हमारी वर्षों से लम्बित इस मांग को पूरा कर आपने क्षेत्रवासियों को राहत पहुंचाई है।

बामनवास में 800 करोड़ के विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि बामनवास विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आजादी के बाद जो काम हुए उससे कहीं अधिक काम पिछले साढ़े चार साल में हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में सवाई माधोपुर जिले में 4 हजार करोड़ तक के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं जिनमें से 800 करोड़ रुपये बामनवास विधानसभा के लिए स्वीकृत हुए हैं।

श्रीमती राजे ने कहा कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के तहत विधानसभा क्षेत्र में अब तक 28 हजार 500 से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बामनवास विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्कूटी एवं 5 लैपटॉप वितरित किए तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। •

नीति आयोग शासी परिषद् की बैठक

ईआरसीपी को मिले राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि राजस्थान में पेयजल की विकट समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रदेश को विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराए। उन्होंने प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की।

श्रीमती राजे 17 जून को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद् की चौथी बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी की व्यवहार्यता रिपोर्ट को केन्द्रीय जल आयोग से सैद्धान्तिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने से इस प्रोजेक्ट को गति मिलेगी।

सतही जलापूर्ति परियोजनाओं में केन्द्र वहन करे 50 प्रतिशत हिस्सेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पानी की कमी के साथ-साथ इसकी खराब गुणवत्ता भी बड़ी समस्या है। देश की फ्लोराइड प्रभावित आबादियों में से 53 प्रतिशत राजस्थान में हैं। उन्होंने मांग की कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार परियोजना लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करे।

कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए एसडीआरएफ मानदण्ड बढ़ाकर 5 हैक्टेयर किया जाए

श्रीमती राजे ने कहा कि एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए अभी 2 हैक्टेयर की काश्त की अधिकतम सीमा है। राजस्थान में काश्त का आकार तो बड़ा है लेकिन ज्यादातर भूमि असिंचित अथवा बंजर है। उन्होंने यहां की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए एसडीआरएफ नॉर्म्स में बदलाव कर प्रति किसान काश्त की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 5 हैक्टेयर करने का अनुरोध किया।

किसानों की वास्तविक संख्या के आधार पर मिले कृषि इनपुट सब्सिडी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में लगभग 8-10 जिले हर वर्ष सूखे की चपेट में रहते हैं। भारत सरकार की उच्चस्तरीय कमेटी वर्ष 2010 के कृषि सर्वेक्षण में किसानों की संख्या के आधार पर कृषि इनपुट सब्सिडी की राशि का निर्धारण करती है। किसानों की वास्तविक संख्या से यह संख्या कम होने के कारण पूरी मदद नहीं मिल पाती है। उन्होंने मांग की कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की वास्तविक संख्या और वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर मदद दी जानी चाहिए।

मंडियों, उप मंडियों एवं पशुधन मंडियों के लिए केन्द्र से सहयोग का अनुरोध

श्रीमती राजे ने कहा कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ने कृषि में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण काम किए हैं जिसे देखते हुए नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राजस्थान को कृषि सुधारों के लिए तीसरे स्थान पर रखा है। उन्होंने प्रदेश में मंडियों, उप मंडियों एवं पशुधन मंडियों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने करीब 30 लाख किसानों के पचास हजार रुपये तक के ऋण माफ करने, किसान ऋण राहत आयोग का गठन करने, सहकारिता विभाग की ओर से दुर्घटना बीमा राशि पचास हजार से बढ़ाकर दस लाख रुपये करने जैसे बड़े कदम उठाए हैं।

आलेख व छाया : **गोपेन्द्र नाथ भट्ट**
अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान सूचना केन्द्र, नई दिल्ली

राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 लागू

किसानों को 8 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की बजट घोषणा की पालना में प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले 29 लाख से अधिक किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण की माफी योजना लागू कर दी गई है। ऋण माफी से राज्य के किसानों का लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ होगा। मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने 31 मई को बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड में किसानों को ऋणमाफी प्रमाण पत्र वितरित कर प्रदेश स्तरीय ऋण माफी प्रमाण पत्र कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। राज्य के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों एवं प्रभारी सचिवों की उपस्थिति में 4 मई से ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर आयोजित शिविरों में किसानों को ऋण माफी प्रमाण-पत्र का वितरण भी प्रारम्भ हो गया।

लघु एवं सीमान्त किसानों का 50 हजार तक का कर्जा माफ

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के किसानों के हित में ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णय से प्रदेश के इतिहास में पहली बार बड़ी मात्रा में किसानों की कर्ज माफी हो रही है। योजना में सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमान्त कृषकों की 30 सितम्बर, 2017 को अवधिपार ऋण पर समस्त शास्तियां एवं ब्याज माफ किए गए हैं तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों के 30 सितम्बर, 2017 तक बकाया अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार रुपये तक के कर्जे एकबारीय माफ किए गए हैं।

सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण से जुड़े सीमान्त कृषक 1 हैक्टेयर, लघु कृषक 2 हैक्टेयर तक एवं अन्य किसान 2 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले योजना में पात्र माने गए हैं। इनमें खेती करने वाले भूमि मालिक के साथ-साथ भाड़े या बटाई पर काश्त करने वाले किसान भी शामिल हैं।

अन्य किसानों का 50 हजार तक का कर्जा अनुपात में माफ

लघु एवं सीमान्त किसानों के अलावा अन्य किसानों का भी 30 सितम्बर, 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण लघु काश्तकारों की जोत के अनुपात में 50 हजार रुपये तक माफ किया गया। योजना का लाभ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जुड़े सम्बन्धित किसानों को दिया गया है।

कृषकों की जारी होगी सूची

ऋण माफी वाले लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की सूची प्रकाशित की जा रही है। किसान ई-मित्र केन्द्र पर रुपे कार्ड/ आधारकार्ड/ भामाशाह नम्बर के आधार पर अपनी ऋण एवं ऋण माफी राशि का सत्यापन कर सकता है। बैंकों द्वारा तैयार की गई सूचियों में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे इसके लिए इनका जिला स्तरीय कमेटी द्वारा परीक्षण किया जाएगा।

परिवेदना कमेटी सुनेगी किसानों को

किसानों की ऋण माफी के विवरण की सत्यता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर या इसके

द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक परिवेदना कमेटी का गठन किया गया है। कोई भी किसान ऋण माफी के लिए तैयार की गई सूची में नाम नहीं होने, इसके पक्ष में मंजूर की गई ऋण माफी की गणना से असंतुष्ट होने पर किसान सम्बन्धित बैंक की शाखा के माध्यम से अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकता है। परिवेदना कमेटी परिवेदना का निपटारा 30 दिवस की अवधि में करेगी।

राज्य स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति द्वारा योजना का क्रियान्वयन

योजना के क्रियान्वयन के अनुप्रवर्तन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), प्रमुख शासन सचिव (सहकारिता), प्रमुख शासन सचिव (आयोजना/आई.टी.), रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, मुख्य अंकेक्षक सहकारी समितियां, प्रबन्ध निदेशक अपेक्स बैंक, प्रबंध निदेशक एसएलडीबी समिति के सदस्य एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) सहकारी समितियां सदस्य सचिव हैं।

जिला स्तरीय कमेटी

किसानों के लिए कर्ज माफी की ऐतिहासिक घोषणा को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में सम्बन्धित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को समन्वयक तथा जिला इकाई उप रजिस्ट्रार, विशेष लेखा परीक्षक, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव या शाखा प्रबंधक व पैक्स व्यवस्थापक या शाखा सचिव, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक को सदस्य बनाया गया है। सम्बन्धित ऋण पर्यवेक्षक एवं शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित पात्र कृषकों की सूची में किसी प्रकार की गलती न रहे इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी न्यूनतम 10 प्रतिशत कृषकों की माफ किए जा रहे ऋण का परीक्षण करेगी।

परीक्षित सूचियों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उक्त कमेटी सहकारी बैंक की शाखा एवं समिति के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी तथा इस सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में बतौर समाचार भी प्रकाशित करवाएगी। उन्होंने बताया कि यह कमेटी प्रकाशित सूची पर आपत्तियों को प्राप्त कर उनका 7 दिवस में निस्तारण करेगी। किसी किसान द्वारा की गई आपत्ति सही पाई जाती है तो समिति उसकी सूचना को तत्काल साफ्टवेयर में अपडेट करवाते हुए तैयार की गई पात्र किसानों की अन्तिम सूची का प्रकाशन करवाएगी। अन्तिम सूची के आधार पर सहकारी बैंक की पुस्तकों में माफी योग्य राशि का इन्द्राज कर राज्य सरकार को क्लेम प्रेषित करने का दायित्व जिला स्तरीय कमेटी का होगा। समिति जिले में आयोजित होने वाले कर्ज माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविरों के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण करेगी। यह समिति योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समुचित प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करेगी।

यह समिति परिवेदना निवारण कमेटी के सम्बन्ध में सूचना सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा एवं पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएगी ताकि कोई भी ऐसा किसान जो जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष रखी गई आपत्ति के निस्तारण से संतुष्ट नहीं होने पर परिवेदना निवारण कमेटी के सम्मुख अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

अवधि पार किसानों का ब्याज एवं शास्ति राशि भी माफ

सहकारी बैंकों के सीमान्त एवं लघु किसान जिनका फसली ऋण 30 सितम्बर, 2017 को अवधि पार की श्रेणी में था, ऐसे किसानों को फायदा देते हुए पहले उनका ब्याज एवं शास्ति राशि को माफ किया गया है एवं शेष बकाया में से 50 हजार रुपये तक का ऋण माफ कर उन्हें बड़ी राहत दी गई है। सहकारी बैंकों से जुड़े जिन किसानों की भूमि 2 हैक्टेयर से ज्यादा है, उन्हें लघु किसान की जोत के अनुपात में 50 हजार रुपये तक की ऋण माफी का लाभ दिया गया है।

अनोखी है राजस्थान की ऋण माफी योजना

राजस्थान फसली ऋण माफी योजना एक अनूठी योजना है, जिसमें सहकारी बैंकों के फसली ऋण से जुड़े सीमान्त, लघु तथा अन्य किसानों को शिविरों में ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। लाभान्वित किसान को नया ऋण स्वीकृत हो रहा है एवं मूल ऋण माफी राशि तक के नये ऋण के लिए भी किसान से आवेदन लिए जा रहे हैं।

ऐसे किसानों को नहीं मिलेगा ऋण माफी का लाभ

राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 के अन्तर्गत ऋण माफी का लाभ जिन किसानों को दिया गया है उनमें से राज्य एवं भारत सरकार के वर्तमान व पूर्व मंत्रिमण्डल के सदस्य को योजना से अलग कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्तमान व पूर्व सांसद एवं विधायक, आयकरदाता कृषक, राज्य व केन्द्र सरकार के वेतनभोगी अधिकारी व कर्मचारी, राज्य व भारत सरकार के नियमित पेंशनधारक सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी को भी ऋण माफी योजना से अलग कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों में नियुक्त पदाधिकारी जिन्हें केबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है तथा राज्य सरकार के विभिन्न आयोगों में नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य को भी योजना के लाभ से पृथक कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त श्रेणी के कृषकों को ऋण माफी का लाभ नहीं मिलेगा। सभी बैंकों यथा सार्वजनिक, प्राइवेट, सहकारी बैंक इत्यादि के पदाधिकारी, कार्मिक एवं पेंशनर्स किसानों को योजना से अलग कर दिया गया है।

इसी प्रकार राज्य एवं केन्द्रीय स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी, कार्मिक एवं पेंशनर्स किसान भी फसल ऋण माफी योजना, 2018 के पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा पंचायतीराज संस्थाओं के कार्मिक एवं पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान और जिला परिषद् के वर्तमान जिला प्रमुख किसान भी योजना में पात्र नहीं होंगे। सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के पूर्णकालिक कार्मिक भी अब योजना का हिस्सा नहीं होंगे। निर्धारित की गई श्रेणियों में आश्रित किसानों को भी योजना के अन्तर्गत देय लाभ से पृथक किया गया है।

मृत किसान के मनोनीत को मिलेगा ऋण माफी प्रमाण पत्र

ऋणी किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसके मनोनीत व्यक्ति को राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 के तहत ऋण माफी का प्रमाण दिया जाएगा। यदि किसान ने अपना मनोनीत नहीं बनाया था तो उसके परिवार के निकटतम सदस्य को देय ऋण माफी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

प्रदेश में ऐसे कई किसान हैं जो खेती के साथ-साथ भेड़-बकरी, मवेशी, पशु चराई या अन्य कार्यों से कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं, ऐसे किसानों की पुष्टि होने पर उस किसान के परिवार के निकटतम सदस्य को ऋण माफी प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था की गई है। ऐसे किसान को नया ऋण उसके वापिस आने पर ही दिया जाएगा।

राजस्थान सरकार की यह योजना गरीब किसानों के हित में उठाया गया साहसिक एवं ऐतिहासिक कदम है। ऐसे किसानों को कर्ज माफी से बहुत बड़ी राहत मिली है और उनके परिवार को भी सम्बल मिला है। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की सोच एवं उनके ऊर्जावान नेतृत्व के कारण किसानों की कर्ज माफी जैसा निर्णय सम्भव हो पाया है।

दृष्टान्तों से समझें कैसे हो रहा है किसानों को कर्जमाफी से फायदा

1. अन्य किसान कृषि जोत 2.5 हैक्टेयर

- 30 सितम्बर, 2017 को बकाया

मूल ऋण राशि	–	60 हजार रुपये
ब्याज राशि	–	10 हजार रुपये
शास्ति राशि	–	5 हजार रुपये
कुल बकाया राशि	–	75 हजार रुपये

- इस किसान को लघु किसान की कृषि जोत (2 हैक्टेयर) के अनुपात में (2/2.5×50,000=40,000 रुपये) की ऋण माफी का लाभ दिया गया है।
- इस ऋण माफी राशि में से बैंकिंग लेखा नियमानुसार उसकी ओर बकाया शास्ति 5 हजार रुपये एवं ब्याज 10,000 रुपये को समायोजित करने पर शेष मूलधन ऋण राशि 25 हजार रुपये माफ होगी।
- जिससे उसके ऋण खाते की बकाया प्रारम्भिक मूलधन राशि 60 हजार रुपये में से 25 हजार रुपये की ऋण माफी के पश्चात शेष अतिरिक्त बकाया राशि 35 हजार रुपये जमा करवाने पर, आवेदन करने पर समान राशि का ऋण किसान पुन: प्राप्त कर सकता है। साथ ही ऋण माफी राशि के समायोजन उपरान्त शेष मूलधन राशि ऋण माफी राशि 25 हजार रुपये का अतिरिक्त

ऋण स्वीकृत करवा सकता है।

- इस प्रकार इस किसान को ऋण माफी एवं स्वीकृत ऋण में से कुल 1 लाख रुपये (40,000+35,000+25,000 रुपये) का फायदा दिया गया है।

2. लघु एवं सीमान्त किसान (अनावधिपार) कृषि जोत – 1.5 हैक्टेयर

- 30 सितम्बर, 2017 को अनावधिपार बकाया ऋण–70 हजार रुपये
- इस किसान का 50 हजार रुपये का ऋण माफ किया है। ऋण माफी के अतिरिक्त बकाया 20 हजार रुपये किसान द्वारा जमा करवाकर, समान राशि का ऋण पुन: स्वीकृत करवाया जा सकता है।
- साथ ही ऋण माफी की राशि 50 हजार रुपये तक अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करवा सकता है।
- इस प्रकार इस किसान को ऋण माफी एवं स्वीकृत ऋण से कुल 1 लाख 20 हजार रुपये (50,000+20,000+50,000 रुपये) का फायदा दिया गया है।

3. अन्य किसान अनावधिपार बकाया कृषि जोत–5 हैक्टेयर

- 30 सितम्बर, 2017 को अनावधिपार बकाया ऋण राशि–80 हजार रुपये।
- इस किसान को लघु किसान की कृषि जोत (2 हैक्टेयर) के अनुपात में (2/5×50,000=20,000 रुपये) की ऋण माफी का लाभ दिया गया है।
- ऋणमाफी की राशि 20 हजार रुपये के अतिरिक्त बकाया 60 हजार रुपये इस किसान द्वारा जमा करवाने पर समान राशि का ऋण किसान पुन: स्वीकृत करवा सकता है। साथ ही ऋण माफी राशि 20 हजार रुपये तक अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करवा सकता है।
- इस प्रकार इस किसान को ऋण माफी एवं स्वीकृत ऋण से कुल 1 लाख रुपये (20,000+60,000+20,000 रुपये) का फायदा दिया गया है।

4. लघु एवं सीमान्त किसान कृषि जोत 2 हैक्टेयर

- 30 सितम्बर, 2017 को अवधिपार ऋण–30 हजार रुपये।

ब्याज राशि	–	10 हजार रुपये
शास्ति राशि	–	5 हजार रुपये
कुल बकाया राशि	–	45 हजार रुपये

- खाता अवधिपार होने से डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गया था।
- सरकार ने 5 हजार रुपये शास्ति व 10 हजार रुपये ब्याज राशि को माफ करते हुए मूलधन में बकाया सम्पूर्ण 30 हजार रुपये माफ कर दिए।
- इस प्रकार किसान को 45 हजार रुपये की राहत दी गई।
- साथ ही ऋण राशि 30 हजार रुपये की सीमा तक किसान आवेदन कर अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करवा सकता है।
- इस प्रकार किसान को ऋणमाफी एवं स्वीकृत ऋण से कुल 75 हजार (45,000+30,000 रुपये) का फायदा दिया गया है।

5. लघु एवं सीमान्त किसान कृषि जोत – 2 हैक्टेयर

- 30 सितम्बर, 2017 को अवधिपार बकाया ऋण – 40 हजार रुपये।
- इस किसान का सम्पूर्ण ऋण माफ कर दिया गया है।
- साथ ही ऋण माफी की राशि तक (40 हजार रुपये) किसान आवेदन कर पुन: ऋण स्वीकृत करवा सकता है ।
- इस प्रकार इस किसान को ऋण माफी एवं स्वीकृत ऋण में से कुल 80 हजार रुपये का फायदा दिया गया है।

6. लघु एवं सीमान्त किसान कृषि जोत– 1 हैक्टेयर

- 30 सितम्बर, 2017 को अवधिपार बकाया

मूल ऋण राशि	–	60 हजार रुपये
ब्याज राशि	–	10 हजार रुपये
शास्ति राशि	–	5 हजार रुपये
कुल बकाया राशि	–	75 हजार रुपये

- खाता अवधिपार होने से डिफाल्टर की श्रेणी में आ गया था। सरकार ने रुपये 5 हजार रुपये की शास्ति व 10 हजार रुपये की ब्याज राशि माफ करते हुए मूलधन में से 50 हजार रुपये माफ कर दिए।
- इस प्रकार किसान को 65 हजार रुपये की राहत दी गई।
- इस प्रकरण में किसान मूलधन में से 50 हजार रुपये की ऋण माफी राशि के अतिरिक्त बकाया 10 हजार रुपये जमा करवा कर समान राशि का ऋण पुन: स्वीकृत करवा सकता है। साथ ही ऋण माफी की राशि 50 हजार रुपये तक अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करवा सकता है।
- इस प्रकार इस किसान को ऋण माफी एवं स्वीकृत ऋण से कुल 1 लाख 25 हजार रुपये (65,000+10,000+50,000 रुपये) का फायदा दिया गया है।

सहकारिता से किसान कल्याण

कर्जमाफी का ऐतिहासिक एवं साहसिक निर्णय

- सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण से जुड़े सभी किसानों का कर्जा माफ।
- जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के किसान लाभान्वित।
- लघु एवं सीमान्त किसानों के 30 सितम्बर, 2017 को ओवरड्यू ऋण पर बकाया ब्याज एवं शास्ति को किया माफ।
- लघु एवं सीमान्त किसानों के 30 सितम्बर, 2017 को बकाया ब्याज मुक्त फसली ऋण में से 50 हजार रुपये तक की राशि एकबारीय माफ।
- अन्य किसानों के 30 सितम्बर, 2017 को बकाया ब्याज मुक्त फसली ऋण में से 50 हजार रुपये तक की राशि लघु कृषक जोत के अनुपात में एकबारीय माफ।
- 29 लाख 30 हजार से अधिक किसानों को मिलेगा राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 का लाभ।
- इस योजना के तहत किसानों का लगभग 8 हजार 414 करोड़ 53 लाख रुपये होगा माफ।
- 12 जिलों में 300 करोड़ रुपये से लेकर 574 करोड़ रुपये तक का कर्जा माफ किया गया है। 8 जिलों में 200 से 300 करोड़ रुपये तक का तथा धौलपुर जिले को छोड़कर शेष जिलों में 100 से 200 करोड़ रुपये तक का कर्जा माफ किया गया है।
- इन शिविरों में किसान द्वारा नये ऋण का आवेदन करने पर नया ऋण भी स्वीकृत किया जा रहा है।
- वर्ष 2018-19 के खरीफ फसली चक्र के लिये 8 जून, 2018 तक किसानों को 2 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया।

किसानों की कर्जमाफी के लिए स्थायी समाधान

- किसानों को ऋण राहत एवं समाधान के लिए स्थायी संस्थान 'राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग' के गठन का फैसला लिया है।
- संकट की घड़ी में किसान रखेगा आयोग के सामने अपना पक्ष।
- जिससे ऋणी किसान को गुणावगुण के आधार पर शीघ्र मिलेगी राहत।

ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण में राजस्थान सबसे आगे

- वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में किसानों को 64 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण का किया वितरण।
- राजस्थान देश में सर्वाधिक ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण में अग्रणी।
- प्रति वर्ष औसतन 25 लाख किसानों को मिल रहा है इसका फायदा।

- पहली बार 4 लाख नये किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना से जोड़ा गया।
- किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए अब तक 1 हजार 490 करोड़ 28 लाख रुपये किए वहन, इस वर्ष किया 544 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- इस वर्ष 25 लाख से अधिक किसानों को 16 हजार करोड़ रुपये का फसली ऋण बंटेगा।

किसानों को सामाजिक एवं ऋण सुरक्षा की अभिनव योजना

- राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी रूप से अंग-भंग होने पर किसान परिवार को 10 लाख रुपये तक का बीमा लाभ। राज्य सरकार के कार्यकाल में बीमा लाभ राशि में 20 गुणा वृद्धि कर इसे 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु के ऐसे सभी किसान पात्र हैं जिन्होंने सहकारी बैंकों से अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त किया है। योजना के तहत दुर्घटना में आंख, कान, हाथ और पैर में से कोई एक अंग स्थाई रूप से भंग होने पर 5 लाख रुपये तथा दो अंग स्थाई रूप से भंग होने पर या मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये का बीमा लाभ दिया जाता है।
- राज सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 79 वर्ष तक की आयु के किसान की प्राकृतिक मृत्यु होने की स्थिति में 10 लाख रुपये तक के ऋणों का चुकारा करने से मुक्ति।
- गत चार वर्षों में दोनों योजनाओं में 48 हजार 681 किसानों को 296 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम मिला है।

ब्याज दरों को किया कम

- जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकार किसान कल्याण योजना के तहत किसानों की कृषि साख की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर को 11 प्रतिशत से घटाकर किया मात्र 9 प्रतिशत।

किसानों को मिल रहा है उपज का वाजिब दाम

- सरकार ने 8 जून तक के कार्यकाल में रिकार्ड 10 हजार 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कृषि उपज की खरीद कर बनाया रिकार्ड।
- गेहूं, चना, सरसों, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, लहसुन एवं मसूर की 30 लाख 40 हजार मैट्रिक टन से अधिक की खरीद 8 जून, 2018 तक हो चुकी है।
- वर्ष 2017-18 में रिकार्ड 3 हजार 361 करोड़ रुपये से अधिक की हुई मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं एवं चना की खरीद।
- पहली बार ऑनलाइन पंजीयन कर की गई खरीद।
- किसान को निर्धारित दिवस को अपनी उपज तुलाई की मिली सुविधा, कई दिनों तक कतार में लगने से मिली मुक्ति।
- किसान के बैंक खाते में उपज की राशि की जा रही है ट्रांसफर, किसान को राशि के जोखिम से मिली निजात।
- राज्य में सरसों, चना, गेहूं एवं लहसुन की समर्थन मूल्य पर की जा रही है खरीद।
- सरसों के 224, चना के 192, गेहूं के 95 एवं लहसुन के 28 खरीद केन्द्र बनाकर हो रही है खरीद।
- वर्ष 2018 में 4 लाख मैट्रिक टन चना एवं 8 लाख मैट्रिक टन सरसों खरीद का लक्ष्य।

कृषि उपज रहन ऋण योजना का शुभारम्भ

- बाजार में कृषि उपज का दाम कम होने एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु कृषि उपज को सहकारी गोदामों में बहुत मामली किराये पर रखने की सुविधा प्रारम्भ ।
- किसानों को कृषि उपज को रहन रखकर मात्र 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर लघु अवधि के लिए ऋण उपलब्ध।
- गत सवा चार वर्षों में राज्य की सहकारी भण्डारण क्षमता में अभूतपूर्व 1 लाख 44 हजार से अधिक क्षमता की हुई वृद्धि।
- 1 हजार 277 गोदाम का करवाया निर्माण।

म्हाने बोहत बड़ी राहत मिली छै

जयपुर जिले के गोविन्दगढ़ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ढोढ़सर ग्राम सेवा सहकारी समिति में किसानों की ऋण माफी को लेकर 7 जून को शिविर आयोजित हुआ। शिविर में आस-पास के किसान उपस्थित थे, जिनमें महिला किसान सदस्य भी थी। शिविर में 472 किसानों का 22 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया।

किसान प्रभाती लाल का कहना था कि मैंने सहकारी समिति से 25 हजार रुपये का ऋण 12 मई, 2015 को लिया था, परिस्थितियों के कारण मैं ऋण नहीं चुका पाया और इस कारण मेरे ऊपर ब्याज 4110 रुपये, शास्ति 682 रुपये एवं मूलधन 24659 रुपये सहित कुल 29451 रुपये का भार हो गया था। मैं इससे डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गया था लेकिन सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की गई कर्ज माफी की योजना से मेरा पूरा कर्ज, ब्याज और शास्ति माफ हो गई। सरकार की इस योजना से म्हाने बोहत बड़ी राहत मिली छै।

पोस मशीन से मिला तुरन्त ऋण

इसी ग्राम सेवा सहकारी समिति की किसान सदस्य करेलन देवी का कहना है कि आज मुझे शिविर में मेरी ओर बकाया ब्याज राशि व शास्ति राशि को माफ कर ऋण माफी का प्रमाण पत्र मिला। मेरी खुशी दोगुनी हो गई जब मैंने शिविर में नये ऋण के लिए आवेदन दिया तो सरकार ने तत्काल नया ऋण स्वीकृत कर दिया। मैंने शिविर में ही पोस मशीन से हाथों हाथ स्वीकृत ऋण राशि प्राप्त कर ली। मैं अब अपने खेती बाड़ी के कामों में इसका उपयोग कर पाऊंगी। •

आलेख व छाया : **ओटाराम चौधरी**
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर

गंगाराम के लिए वरदान बनी ऋण माफी योजना

पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के दूदोड़ गांव में खेती-बाड़ी कर किसी तरह अपनी आजीविका चलाने वाले बुजुर्ग दंपती गंगाराम व गंगाबाई की चिंता थी कि वे ग्राम सेवा सहकारी समिति से लिए अपने 70 हजार रुपए के फसली ऋण को कैसे चुका पाएंगे। ऐसे में राज्य सरकार की राजस्थान फसली ऋण माफी योजना उनके लिए वरदान बनकर आई है। योजना में मिले पचास हजार के सीधे लाभ ने उनकी सारी चिन्ता दूर कर दी हैं।

ऋण माफी के बाद कृतज्ञता भरे स्वर में गंगाराम बताते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है और किसी तरह खेती-बाड़ी कर वह और उसकी पत्नी गुजारा चलाते हैं। उनके इकलौते बेटे की दो वर्ष पहले बीमारी से मौत हो चुकी है और खेती के अलावा दूसरा कोई जीने का सहारा नहीं है। ऐसे में दोनों पति-पत्नी इस चिंता में डूबे रहते थे कि कैसे इस ऋण का निपटारा होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार जब अपने पचास हजार रुपए माफ होने की खबर उसे मिली तो एकबारगी उसे भरोसा ही नहीं हुआ। 5 जून को गांव में लगे शिविर में जब उसे ऋण माफी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, तो खुशी और कृतज्ञता से उसकी आंखें भर आईं। अब वह और उसकी पत्नी राज्य सरकार का धन्यवाद करते नहीं थकते।

ऋण माफी की खुशी से भरी आंखों और भावुक स्वर में गंगाराम की पत्नी गंगाबाई कहती है कि दोनों पति-पत्नी को राज्य सरकार की ओर से पेंशन मिल रही है। खेती की आय और इस पेंशन के सहारे वे दोनों अपना गुजारा किसी तरह चला रहे हैं। ऋण माफी ने उनकी एक बड़ी चिंता का समाधान कर दिया है।

फसल ऋण माफी से लाभान्वित होने वाले ऐसे अनेक लोग हैं जो हजारों रुपए का एक-मुश्त लाभ पाकर फूले नहीं समा रहे। दूदोड़ के ही करीब 60 वर्षीय पेमाराम ने बताया कि उसके 30 हजार 675 रुपए माफ किए गए हैं और वे अपने जीवन में पहली बार किसानों के लिए इतनी बड़ी योजना देख रहे हैं। इसी प्रकार 65 साल के किसान चुन्नीलाल ने बताया कि ऋण माफी से उसे जो आर्थिक लाभ हुआ है, यह राशि उसके खेती-बाड़ी में काम आएगी।

गांव के गोरधन ने बताया कि जब उसे जीएसएस व्यवस्थापक ने ऋण माफी की सूचना दी तो बहुत अच्छा लगा। किसान हंसाराम ने बताया कि ऋण लेते समय कभी उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऋण माफ भी हो सकता है। उसका करीब 39 हजार रुपए का ऋण माफ हुआ है। एक किसान के लिए यह बहुत बड़ी राशि है। खेती-बाड़ी के अलावा बच्चों की पढाई में यह पैसे बहुत काम आएंगे। •

आलेख : **अजय कुमार**
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, पाली

खजूर की खेती राजस्थान के किसानों के लिए वरदान

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी सहित एक प्रतिनिधिमंडल इस सरकार के गत कार्यकाल में इजरायल गया था। वहां की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों को राजस्थान जैसा पाया, तो मुख्यमंत्री ने वहां हो रही जैतून और खजूर की खेती को राजस्थान में करने के निर्देश दिए। उनके इस विजन को साकार करने के लिए कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी द्वारा कार्य योजना बनाई गई। उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 2008 में सऊदी अरब अमीरात से टिश्यू कल्चर के पौधे आयात किए गए। इन पौधों का जैसलमेर के सगरा भोजका और बीकानेर के खारा कृषि फार्म पर रोपण करवाया गया। इन पौधों की देखरेख आधुनिक तकनीक से की गई। पहले खजूर की खेती सरकारी फार्मो पर की गई, इसकी सफलता के बाद किसानों को अनुदानित दरों पर पौधे उपलब्ध कराए गए। खजूर राज्य की गैर परम्परागत फसल थी इसलिए इसकी खेती में खतरे भी अनेक थे। लेकिन मुख्यमंत्री के विजन और कृषि मंत्री के प्रयासों से इसकी खेती राज्य में न केवल सफल हुई, बल्कि अब यहां इसका बम्पर उत्पादन भी होने लगा है। राज्य में इस बार सरकारी फार्मों सहित किसानों के यहां 2500 से 2800 टन खजूर उत्पादन की सम्भावना है।

यहां होता है खजूर का उत्पादन

खजूर की खेती मुख्य रूप से ईरान, इराक, अल्जीरिया, लीबिया, ओमान, मोरक्को, इजरायल, ट्यूनीशिया और मिस्र में होती है। भारत में खजूर की खेती राजस्थान के साथ गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी की जाती है। रोचक बात यह है कि भारत में उत्पादित खजूर से स्थानीय मांग की पूर्ति नहीं हो पाती इसलिए अभी भी भारत विश्व में खजूर का सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है।

खजूर है पोषक तत्वों का भंडार

खजूर के फल को पौष्टिक तत्वों से भरपूर माना जाता है। इस फल में कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन, वसा, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, मैग्नेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। एक किलो ग्राम ताजा खजूर फलों में लगभग 3150 कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्त होती है।

राजस्थान की जलवायु वरदान साबित

राज्य की सूक्ष्म एवं गर्म जलवायु खजूर की खेती के लिए वरदान साबित हो रही है। खजूर के फल को पूरी तरह से परिपक्व होने के दौरान लम्बे समय तक शुष्क गर्मी की आवश्यकता होती है। लम्बे समय तक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबादी खजूर की फसल को अधिक नुकसान पहुंचाती है। इस लिहाज से राजस्थान का मौसम इसके लिए उपयुक्त हैं।

सरकार के गत कार्यकाल में हुई थी शुरुआत

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने वर्ष 2007-2008 में राज्य में खजूर की खेती की परियोजना शुरू करने की पहल की थी। खजूर की खेती के लिए राज्य के 12 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर, पाली, जालौर, झुंझुनूं, सिरोही और चूरू का चयन किया गया। वर्तमान में राज्य में अभी कुल 1042 हैक्टेयर क्षेत्र पर खजूर की खेती की जा रही है। इस बार 715 हैक्टेयर क्षेत्र में फलोत्पादन होने की सम्भावना है।

राज्य में हो रही है इन किस्मों की खेती

वर्तमान में राजस्थान में खजूर की सात किस्मों यथा बरही, खुनैजी, खलास, मैडजूल, खदरावी, जामली एवं सगई की खेती की जा रही है।

खजूर की खेती के प्रोत्साहन के लिए बनाया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

राज्य में खजूर की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जैसलमेर जिले के सगरा भोजका में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 98 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें खजूर की 9 किस्मों के पेड़ लगाए गए हैं। इनमें 7 मेल और 2 फीमेल पेड़ हैं। यहां खजूर उत्पादक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही अब यहां ऑफशूट पौधों की नर्सरी बनाई गई है।

अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाए पौधे

किसानों को खजूर के पौधारोपण पर राज्य सरकार द्वारा 1950 रुपये प्रति पौधा अनुदान दिया जा रहा है। किसान एक हैक्टेयर में 156 पौधे लगा सकते हैं। इन खजूर पौधों में चौथे वर्ष से उत्पादन शुरू हो जाता है, जो 70 वर्ष तक चलता है। •

आलेख : **प्रमोद वैष्णव**
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर

स्वस्थ धरा - खेत हरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे से 19 फरवरी, 2015 को 'स्वस्थ धरा-खेत हरा' के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए सॉयल हैल्थ कार्ड योजना का शुभारम्भ किया था। उनके इस मूल मंत्र पर काम करते हुए राज्य सरकार ने निर्धारित समय सीमा में ही प्रदेश के किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध भी करा दिए। प्रदेश के किसान सॉयल हैल्थ कार्ड की सिफारिशों के आधार पर खेती करने लगे हैं, जिससे न केवल कृषि लागत में कमी आई है बल्कि उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को दिए जा रहे सॉयल हैल्थ कार्ड को खेती की जन्मपत्री भी कहा जाने लगा है, क्योंकि इसमें उनके खेत से सम्बन्धित समस्त जानकारी दी गई है। इसमें मिट्टी में पोषक तत्वों का प्रतिशत और उर्वरकों की सिफारिश के साथ अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। इस योजना के संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

मृदा का उचित प्रबन्ध जरूरी, नहीं तो होगा उत्पादन प्रभावित

कृषि विभाग द्वारा राज्य के 38,091 गांवों में भू-उर्वरकता का सर्वेक्षण विगत वर्षों में किया गया था। इसके अनुसार राज्य की मिट्टी में नाइट्रोजन 86 प्रतिशत, फास्फोरस 43 प्रतिशत और पोटाश का स्तर 3 प्रतिशत कम पाया गया। लगभग ऐसे ही परिणाम सॉयल हैल्थ कार्ड योजना में विश्लेषित किए गए 25 लाख 88 हजार मृदा नमूनों की जांच में पाए गए। राज्य की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन लगभग 80 प्रतिशत, सल्फर 39 प्रतिशत, जस्ता 49.9 प्रतिशत, लोहा 55.2 प्रतिशत, मैगनीज 4.8 प्रतिशत और कॉपर की 5.2 प्रतिशत कमी देखी गई है। मिट्टी की इस खराब सेहत का असर न केवल उत्पादन पर पड़ेगा, बल्कि खाद्यान्न में जरूरी पोषक तत्वों की भी कमी हो जाएगी। ऐसे में किसान की आय तो कम होगी ही, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा।

क्या है समाधान

इन सब समस्याओं का समाधान है कि मृदा के स्वास्थ्य को उचित तरीके से प्रबन्धित किया जाए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार खेती की जाए। ऐसी स्थिति के निवारण हेतु समन्वित पोषक तत्व प्रबन्ध करना होगा। खेतों में देशी खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, उर्वरक, जिप्सम, रॉक फास्फेट, जैव उर्वरक (कल्चर पैकेट) आदि का विशेषज्ञों की सलाह से उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम नहीं होगी।

मृदा स्वास्थ्य की जांच क्यों ?

सघन खेती के कारण मृदा में उत्पन्न विकारों की जानकारी, मृदा में मौजूदा विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा, बोई जाने वाली फसलों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुमान एवं मृदा की समस्याओं जैसे लवणीयता, क्षारीयता आदि की पहचान के लिए जरूरी है।

मृदा स्वास्थ्य की जांच कैसे ?

एक हैक्टेयर भूमि की जुताई परत (0 से 6 इंच तक की भूमि) का भार लगभग 22.4 लाख किलोग्राम होता है। मृदा के परीक्षण हेतु लिये जाने वाले नमूने का भार 500 ग्राम होता है। अत: उचित जगह से मृदा नमूना लिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रयोगशाला में नमूना प्राप्त होने के पश्चात उसकी लवणीयता, क्षारीयता एवं उपलब्ध प्रमुख एवं

शेष छायाचित्र : सुजस

गौण पोषक तत्वों की मात्रा की जांच की जाती है। उर्वरता स्तर जानने के पश्चात ली जाने वाली फसल हेतु खाद एवं उर्वरक की सिफारिश, बाजार में उपलब्ध उर्वरकों के विभिन्न संयोजन बनाकर दी जाती है।

सॉयल हैल्थ कार्ड

मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी की जांच परिणाम व फसलों हेतु उर्वरक सिफारिशों को बताता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को आकर्षक, सरल एवं स्पष्ट बनाया गया है। यह कार्ड दो खण्डों में विभक्त है। पहले खण्ड में कृषक का नाम, पता एवं खेत की जानकारी तथा जांच के परिणाम अंकित हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के दूसरे खण्ड में कृषक द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के लिए उर्वरकों की सिफारिश दी जाती है। इस प्रकार अपने खेती की मिट्टी की जांच उपरान्त तैयार मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से कृषक विभिन्न फसलों हेतु संतुलित खाद एवं उर्वरक प्रबन्ध कर प्रति इकाई लागत कम करते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं तथा बेहतर उर्वरक प्रयोग द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं।

छायाचित्र : प्रमोद वैष्णव

राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि सॉयल हैल्थ कार्ड योजना से किसानों की जिन्दगी में खुशहाली आई है। अब किसान सॉयल हैल्थ कार्ड के सुझावों पर अमल कर खेती करने लगे हैं जिससे उनकी फसल उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराए

सॉयल हैल्थ कार्ड योजना का उद्देश्य मृदा परीक्षण सेवाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण कर पोषक प्रबन्ध तकनीक का विकास कर कृषकों को इसकी जानकारी देना है। इस योजना के तहत 2.5 हैक्टेयर सिंचित व 10 हैक्टेयर असिंचित क्षेत्र से नमूना लिया जाता है। योजना के पहले चरण में 25 लाख 88 हजार नमूने लिए गए और 91 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड जारी किए। योजना का दूसरा चरण वर्ष 2017 से प्रारम्भ हो चुका है, जो वर्ष 2019 तक चलेगा।

मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए बांटे सूक्ष्म पोषक तत्व किट

कृषि विभाग द्वारा मृदा परीक्षण उपरान्त क्षेत्र विशेष में पाई गई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को दूर करने हेतु वर्ष 2016-17 में 18,818 कृषकों को सूक्ष्म पोषक तत्व किट वितरण किए गए। वर्ष 2017-18 में 40,827 किट्स का वितरण किया गया है।

मृदा जांच सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण

राज्य में वर्ष 2014-15 बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य में 55 नवीन मृदा प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। इससे राज्य में प्रयोगशालाओं की कुल संख्या बढ़कर 101 हुई है। इनकी कुल वार्षिक क्षमता 10.40 लाख नमूने प्रतिवर्ष है। इसमें से 34 प्रयोगशालाएं विभागीय स्तर से तथा 67 प्रयोगशालाएं आउटसोर्स के माध्यम से संचालित कराई जा रही है। आउटसोर्स प्रयोगशालाओं में कार्य संचालन को सुदृढ़ीकरण करने के लिए कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के 55 पद सृजित कराए गए हैं। •

आलेख : **प्रमोद वैष्णव**
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर

कबीर

अतार्किकता को चुनौती

आलेख : **कोसलेन्द्रदास**, सहा. आचार्य,
ज.रा.रा. संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

कबीर के लिए उनका 'करघा' ही जीवन है क्योंकि वह ज्ञान और कर्म का उपदेश देता है। इसी चरखे पर कबीर ने 'झीनी झीनी सी चदरिया' बुनी थी। कबीर की पढ़ाई बाहरी नहीं भीतरी थी।

कबीर ज्ञान, विवेक और अनुभव की ऐसी अनूठी सरिता है, जिसने आम जनता से संवाद के पुल बांधकर ऐसा साहित्य रचा, जो सुदीर्घ काल से हमें सम्मोहित किए हुए है। सूर्य की रश्मियों जैसी ऊष्मा वाला वह साहित्य आजकल के चिंतकों से कहीं अधिक आधुनिक और क्रांतिकारी है। कबीर ने मनुष्य की जन्म सत्ता के बजाय उसकी व्यक्ति सत्ता को महत्त्व दिया। मनुष्य होने के आधार पर 'निर्गुण ब्रह्म' को खोज लेने का रास्ता दिखा देने वाले कबीर मानव के जन्म से ही श्रेष्ठ होने के सबसे मजबूत उदाहरण हैं, जो उद्घोषणा सहस्राब्दियों पहले महाभारत ने की थी – न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्। मानव स्वातंत्र्य के संभवत: पहले मुखर प्रतिनिधि कबीर ही थे। उन्होंने संत साहित्य को समाज साहित्य में ऐसा बदला कि वह शोषित और वंचितों की आवाज ही नहीं बन गया बल्कि वेदांत का गम्भीर तत्त्व आम आदमी के बोलचाल की भाषा में बदल गया। बिना आखर पढ़े तब का चलता-फिरता आदमी दर्शनशास्त्र की जटिल बातों को कबीर की भाषा में दोहराने लगा – घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे! उत्तर भारत के मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में राम भक्ति की निर्गुण शाखा का आश्रय लेकर कबीर ने जिस तरह तत्कालीन जड समाज को झकझोरा, वह आज तक बेमिसाल है।

कबीर ने जो लिखा और कहा, उसके चार पुराने लिखित साक्ष्य मौजूद हैं। सबसे पुराना रूप मिलता है सिखों के पवित्र 'गुरुग्रंथ साहिब' में। दूसरा संत दादू दयाल की आज्ञा से कबीर, रैदास, नानक, नामदेव और दादू की वाणी के तैयार किए 'पंचवाणी' संकलन में। तीसरा रूप है दादू के प्रमुख शिष्य रज्जबदास द्वारा संकलित संतवाणी 'सर्वंगी' में और चौथा है कबीर पंथ का अपना अभिलेख 'बीजक'। अनेक प्रकार के पाठ भेदों और साम्प्रदायिक छवि का सम्बन्ध कबीर से बनता और बदलता रहा है। लेकिन इन चारों के बीच मिले साहित्य में कबीर में जहां एक ओर तड़प और आंतरिक अकेलापन है वहीं दूसरी ओर अंदर की मस्ती का ऐसा ज्वार भी है जो पूरी दुनिया को अपने भीतर समेट लेता है। एक ओर अपनी भीतरी यात्रा में इतनी एकाग्रता है कि बाहर से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। दूसरी ओर गंदगी भरे आसपास के समाज को परिवर्तित करने का पूरा अभियान है। तभी तो कबीर में प्यार और रोष, दोनों का विरोधाभास है। कभी अपने 'राम' की प्रेमिका बनकर उनसे मिलन की तीव्र उत्कंठा तो कभी संसार को माया मानकर उसे 'महाठगिनी' कहकर उसकी भारी भर्त्सना।

जनश्रुति के अनुसार कबीर के पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर के लिए उनका 'करघा' ही जीवन है क्योंकि वह ज्ञान और कर्म का उपदेश देता है। इसी चरखे पर कबीर ने 'झीनी झीनी-सी चदरिया' बुनी थी। कबीर की पढ़ाई बाहरी नहीं भीतरी थी। वे कहते हैं – मसि कागद छूयो नहिं कलम गहि नहीं हाथ। उन्होंने तत्त्व को देखा और कहा। वे किसी कागजी पढ़ाई से नहीं बल्कि आंखों से तत्त्व को देखकर उसे अपने अनुभव को बांटते हैं – और कहै कागज की लेखी कबीरा कहे आंखों की देखी।

वैसे तो पूरा रामभक्ति साहित्य सगुण उपासना को समर्पित है। वह नाम-रूप-लीला-धाम का भक्ति साहित्य है। परंतु कबीर ने अपने राम को निर्गुण में खोजा। कबीर के राम निर्गुण हैं। वे अकाल, अजन्मा, अनाम और अरूप हैं। वे बिना कान के सुनते हैं। बिना पांव के चलते हैं और बिना हाथों के काम करते हैं। उन्हें साधक राम और रहीम के नाम से जानते हैं। पर कबीर ने उस ब्रह्म को अपनी तरफ से एक प्यारा नाम 'साहब' दिया। वे कहते हैं कि निर्गुण राम भजहु रे भाई, अबिगत की गति लखी न जाई अर्थात निर्गुण राम को भजो, जिसकी गति कोई नहीं जानता।

एकेश्वरवाद कबीर को स्वीकार है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के अनेक अमर संत कबीर के समकालीन थे। इनमें अनेक उनके गुरु स्वामी रामानंद के ही शिष्य हैं। रैदास, धन्ना, सैन और पीपा उनके साथ रहे। अनेक 'परचइयों' में कबीर के साथ इनके संवाद दर्ज है। इन सब संतों की भक्ति संवेदनाओं में कबीर का खास स्थान है। इधर सगुण भक्त सूरदास उस सरोवर की ओर चल रहे हैं, जहां रात नहीं होती तो उधर कबीर भी 'हंसा नहाए मानसरोवर, ताल-तलैया क्यूं डोले' से उसी मानसरोवर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यही कारण है कि उच्च आदर्श होने के नाते परम्परा ने इन सब को कवि नहीं बल्कि संत माना। मीरा, तुलसीदास, सूरदास और नरसी में सगुण-निर्गुण अधिक संश्लिष्ट है। वहीं कबीर, नानक, दादू और रामचरण रामस्नेही जैसे संत-कवि भी 'राम' नाम के सहारे ही परमात्मा तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। राम, गोविंद, हरि और कृष्ण ही इनके संबोध्य नाम हैं। हां, इनका अनुभव जरूर अपना अलग-अलग है। कबीर कहते हैं – ऐसा कोई ना मिला राम भगति का मीत। तन मन सौंपे मिरग ज्यों सुन बधिक को गीत।। ऐसी अभिव्यक्ति राम में डूबा हुआ कोई सम्पूर्ण प्रेमी ही कर सकता है, जिसकी अनुभूति का पाट चौड़ा हो और गहराई की कहीं कोई थाह ही न हो। •

डॉ. राज दहिया ने बनाया

बायोमास कुक स्टोव

आलेख व छाया : **डॉ. महेन्द्र मधुप**, वरिष्ठ कृषि पत्रकार, जयपुर

जयपुर की किसान-वैज्ञानिक डॉ. राज दहिया को बायोमास कुक स्टोव बनाने के लिए 2017 में बीकानेर में राजुवास में 'खेतों के वैज्ञानिक' के रूप में सम्मानित किया गया। उनके पिता रायसिंह दहिया को बायो गैसीफायर विकसित करने के लिए 2016 में 15 दिन राष्ट्रपति भवन में मेहमान बनाया गया। इसे विकसित करने में राज की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने दी यह जानकारी-

हनुमानगढ़ जिले के नोहर में 31 अगस्त, 1985 को किसान-वैज्ञानिक रायसिंह दहिया के यहां मेरा जन्म हुआ। पिताजी और मां विद्या ने मुझे, बड़ी बहन नीरू और छोटे भाई जय को निरन्तर कुछ नया करने की सीख दी। हमारे व्यक्तित्व में ढाल दिया कि पूरी लगन और निष्ठा से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

नीरू पढ़ने के लिए गांव के बाहर चली गई और जय छोटा था, इसलिए पिताजी के ज्यादा करीब मैं ही रही। जब पिताजी ने बायो गैसीफायर बनाया, तबसे पढ़ाई के साथ पापा के नवाचारों से जुड़ गई। बारहवीं तक गांव में पढ़ी, फिर गांव के पास नोहर से बी.ए. किया। हनुमानगढ़ में भूगोल में एम.ए. किया। जब भी अवसर मिलता लोगों को समझाती कि खेतों में भूसा जलाकर प्रदूषण नहीं फैलाएं। इस बीच पीएच.डी. के लिए मनमाफिक विषय मिल गया - 'हनुमानगढ़ में भूमि उपयोग और जीवन स्तर'। इसके लिए जयपुर आना पड़ा। वर्ष 2015 में पीएच.डी. की उपाधि मिली।

पिताजी के नवाचारों पर काम के साथ, जहरीले खाद्य पदार्थों से

लोगों को बचाने के लिए जैविक खेती के लिए किसानों को जागरुक करने लगी। अपने गांव में भी लोगों के खेतों पर जाकर इसके लिए प्रेरित किया।

बनाई कम्पनी : कम शिक्षा के कारण पिताजी को पता नहीं था कि कम्पनी क्या होती है। मैंने पीएच.डी. के शोध के साथ पिताजी के व्यवसाय में दायित्व बखूबी निभाया। कम्पनी बनाकर देशभर में पापा द्वारा बनाए गैसीफायर को पहुंचाया। पिताजी के साथ राष्ट्रपति भवन कई बार गई। राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से मिलने का मौका मिला।

बायोमास कुक स्टोव : जनवरी, 2015 में आईआईएम अहमदाबाद में एनआईएफ के डॉ. अनिल के. गुप्ता ने तीन राष्ट्रीय समस्याएं बताईं - धान की बुआई, चाय पत्ती तोड़ना और गांव की औरतों को धूल से निजात दिलाना। उसी दिन से तीसरी समस्या के समाधान के लिए जुट गई।

पापा और बहन से चर्चा की कि गांव की औरतों के लिए धुआं रहित स्टोव बनाया जाए, क्योंकि एलपीजी स्टोव गांवों में अब भी बहुत कम संख्या में हैं और अधिकांश साधारण किसान महिलाएं इनसे वंचित हैं। परिवार में सभी इसके लिए जुट गए। अंत में बायोमास कुक स्टोव बनाने में सफल हो गई। इसमें फ्यूल उपयोग पारम्परिक चूल्हे से 40-45 प्रतिशत कम है। इसमें एक पंखा लगाया गया है जो इसकी दक्षता को बढ़ाता है। यह बिजली होने पर उससे और न होने पर बैटरी से चलता है। जहां बिजली नहीं पहुंची वहां सोलर पैनल और दो लाइट के साथ एक मोबाइल चार्जर दिया जाता है। इसमें खाने के अलावा स्वचालित पानी गरम करने की भी व्यवस्था है। 20 से 80 लीटर पानी साथ में गरम हो सकता है। स्टोव में गोबर के केक, लकड़ी के टुकड़े आदि का उपयोग हो सकता है।

यह बायोमास कुक स्टोव राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, मिड डे मील और भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. तक पहुंच चुका है।

खेतों के वैज्ञानिक : 2015 में जयपुर में 'सिटा' और 'राप्रौशिस' ने और 2017 में बीकानेर में राजुवास ने 'खेतों के वैज्ञानिक' के रूप में सम्मानित किया।

इन दिनों : हम घरेलू बायोगैस प्लान्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें घर और रसोई के 'कचरे' (वेस्ट) का उपयोग हो सके। हमारी कोशिश है कि 15-20 हजार में यह बाजार में उपलब्ध हो जाए। •

राजस्थान पुलिस का आम जन के लिए उपयोगी कदम

राज्य आपदा प्रतिसाद बल

प्रकृति ने मनुष्य को सार्थक जीवन जीने के लिए सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। सामान्यत: प्रकृति अत्यन्त सुखद होती है, लेकिन प्रकृति का रौद्र रूप भूकम्प, अतिवृष्टि, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आता है जो जानमाल के लिए विनाशकारी हो जाती हैं। प्राकृतिक ही नहीं बल्कि गम्भीर दुर्घटनाएं और अग्निकाण्ड आदि मानवजनित आपदाएं भी विनाशकारी होती हैं। आपदाओं की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया कर पीड़ित आपदा ग्रस्त लोगों तक तत्काल पहुंच कर उनकी सहायता के उद्देश्य से वर्ष 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट पारित होने के उपरान्त भारत सरकार ने केन्द्रीय आपदा प्रतिसाद बल का गठन किया।

एसडीआरएफ का गठन

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने वर्ष 2012-13 के बजट में केन्द्रीय आपदा प्रतिसाद बल की तर्ज पर राज्य आपदा प्रतिसाद बल (एसडीआरएफ) के गठन की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 2013-14 में आरएसी की द्वितीय बटालियन में 800 कांस्टेबल की भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया। इस बल में कुल 1120 पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में 856 कार्मिक कार्यरत हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के प्रशासनिक नियन्त्रण में प्रारम्भ किए गए इस बल के जवानों को आपदाओं की स्थिति में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य आपदा प्रतिसाद बल की बटालियन का मुख्यालय जयपुर के झालाना में संचालित किया जा रहा है। प्रारम्भ में वर्ष 2015 में बल को 5 करोड़ 80 लाख की राशि उपलब्ध करवाकर वाहन व आपदा रक्षक आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए।

8 कम्पनियों के लिए 16 ट्रक व आपदा उपकरण

गृह तथा आपदा राहत एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने गत 7 मई को बल के बटालियन मुख्यालय पर हरी झण्डी दिखाकर आपदा उपकरणों के 16 ट्रकों को सम्बन्धित कम्पनियों के लिए रवाना किया। इन उपकरणों को राज्य आपदा प्रतिसाद बल की संभाग स्तर पर तैनात 8 कम्पनियों को उपलब्ध कराया गया है। नए उपकरणों में 16 ट्रक, 48 बोट्स, 9 फाइबर बोट्स, कटिंग मशीनें, लाइफ जैकेट्स, विभिन्न प्रकार की रस्सियां, हैलमेट व इमरजेंसी लाइट्स सहित अन्य आवश्यक उपकरण शामिल हैं।

अन्य राज्यों की मदद में भी सक्षम

कटारिया ने कहा कि राज्य आपदा प्रतिसाद बल ने कम समय में ही अपने जवानों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर देश भर में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि आपदाओं की स्थिति में अब तक अजमेर स्थित एनडीआरएफ की एक यूनिट अथवा अन्य राज्यों से टीमें बुलाई जाती रही हैं, लेकिन अब बाहर से यहां टीम बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि हमारा बल अन्य राज्यों में भी जाकर मदद कर सकेगा। इस अवसर पर गृहमंत्री सहित अतिथियों ने बल द्वारा आपदाओं के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के डेमो को देखा और जवानों के हौसलों की तारीफ की।

सीमित साधन पर भूमिका उपयोगी

महानिदेशक पुलिस ओ.पी. गल्होत्रा ने समारोह में बताया कि जवानों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देकर एसडीआरएफ के जवानों को देश के श्रेष्ठ सस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया अतिवृष्टि सहित अन्य आपदाओं में एसडीआरएफ ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। वर्ष 2016 में आई बाढ़, 2017 के मानसून में पश्चिमी राजस्थान में हुई अतिवृष्टि से उत्पन्न विकट हालात व अन्य जलजनित आपदाओं में बल के जवानों ने साहस व कार्यकुशलता का परिचय दिया है। जयपुर में एक निजी होटल की फॉल्स सीलिंग गिरने पर हुई जन हानि, भरतपुर में विवाह-स्थल पर दीवार गिरने से हुई आपदा, बीकानेर में पटाखा फैक्ट्री में हुई आपदा व हाल ही में ब्यावर में विवाह समारोह में सिलेन्डर ब्लास्ट के कारण हुई त्रासदी में एसडीआरएफ राजस्थान के कार्मिकों ने उत्कृष्ट कार्यकुशलता प्रदर्शित की है।

विशेष प्रशिक्षण

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस व एसडीआरएफ के प्रभारी बी.एल. सोनी ने बताया कि प्रदेश में गठित राज्य आपदा प्रतिसाद बल के जवानों को आपदा से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 में प्रत्येक सम्भागीय मुख्यालय के लिए एक-एक कम्पनी तैनात कर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। बल के 632 कार्मिकों को एनडीआरएफ का 45 दिवसीय आधारभूत आपदा मोचन प्रशिक्षण एवं 160 कार्मिकों को भारतीय सेना द्वारा 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही 400 कार्मिकों को विजयवाड़ा में बाढ़ बचाव व राहत का 21 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया गया। बल के ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करवाया गया। रावतभाटा स्थित परमाणु संयन्त्र को ध्यान में रखते हुए केमिकल, बायोलोजिकल, रेडियोलोजिकल एवं न्यूक्लियर विधा में भी पर्याप्त कर्मी प्रशिक्षित किए गए हैं।

प्रतिमाह मॉक ड्रिल

राज्य आपदा प्रतिसाद बल की प्रत्येक कम्पनी अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में आपदा मोचन की प्रतिमाह न्यूनतम एक मॉक ड्रिल आयोजित करती है। इस मॉक ड्रिल में आपदा की स्थिति में स्थानीय प्रशासन, जिला पुलिस, सिविल डिफेन्स सहित अन्य विभागों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए की जाने वाली कार्यवाही का प्रदर्शन व अभ्यास किया जाता है। कम्पनी द्वारा प्रतिमाह दो विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में कार्यशालाएं आयोजित कर विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों को जागरूक किया जाता है। आपदाओं की स्थिति में बल के जवान तत्काल पहुंच कर राहत कार्यों के साथ ही आवश्यक सेवाएं सुलभ कराते हैं। स्थानीय प्रशासन का सहयोग कर पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने के साथ ही बचाव कार्यों को सम्पादित करते हैं।

मुस्तैद बल

राज्य में आपदा मोचन के लिए गठित किए गए इस बल के लिए बटालियन मुख्यालय में जयपुर से 44 किलोमीटर दूर अजमेर स्थित ग्राम गाड़ोता में 17.60 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है एवं 15 करोड़ की लागत से भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रारम्भ में रस्सों सहित अन्य संसाधनों की कमी के कारण बल के जवानों को आपदाओं में दक्षतापूर्वक भूमिका निभाने में कठिनाई होती थी। अब बल के पास पर्याप्त नावें, रस्से, लाइफ जैकेट, कटिंग और लिफ्टिंग उपकरण स्ट्रेचर इत्यादि उपलब्ध हो गए हैं। अब बल आपदाओं की स्थिति में तत्काल प्रभावी, सकारात्मक व संवेदनशील भूमिका निभाने के लिए सदैव मुस्तैद है। •

आलेख व छाया : **गोविन्द पारीक**
संयुक्त निदेशक(प्रचार), राजस्थान पुलिस

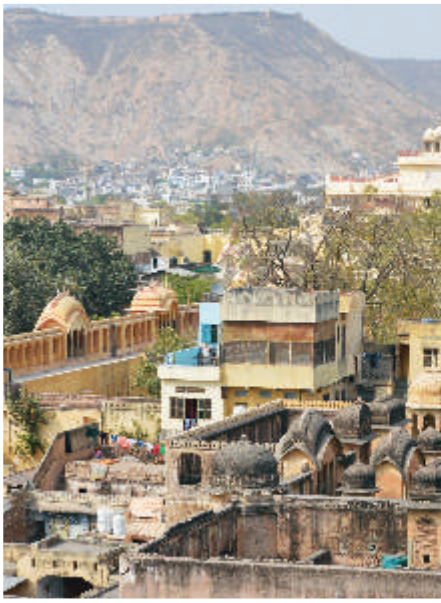

18वीं सदी की

नायाब नवाब साहिब की हवेली

आलेख व छाया : **अनुभा जैन**, पत्रकार, जयपुर

"हवेली की छत पर दो आयताकार शीशे आमने–सामने लगे हैं। इन दोनों शीशों को हवेली की छत पर इस तरह लगवाया गया है जिसे 90 डिग्री पर घुमाकर सम्पूर्ण जयपुर की ऐतिहासिक व अन्य नायाब इमारतों को देखा जा सकता है। चाहे वह जयपुर का ताज नाहरगढ़ दुर्ग हो या गढ़ गणेश, हवामहल, जलमहल, जंतर–मंतर, चंद्रमहल, सवाई मानसिंह टाउनहॉल, जयगढ़ दुर्ग, अल्बर्ट हॉल, मोती डूंगरी गणेश मंदिर या बिरला मंदिर हो। यानी अगर आप इस नायाब हवेली पर जाएं तो पूरा जयपुर देख सकते हैं।"

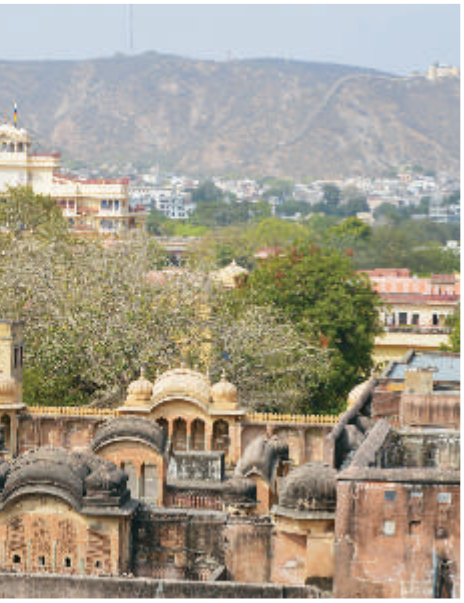

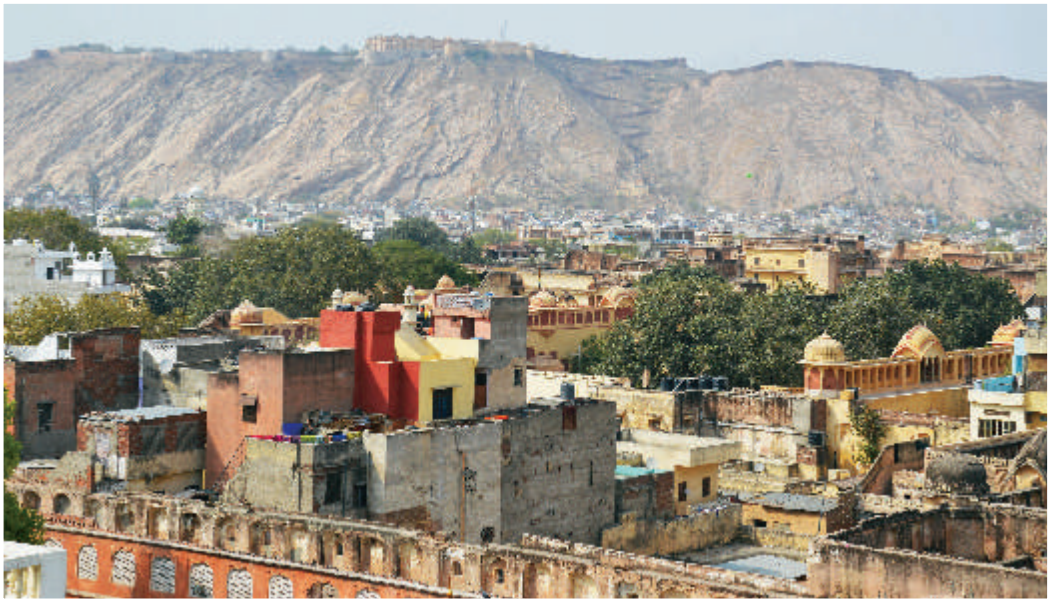

विश्व में गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर का सुनियोजित नगर निर्माण, वास्तुशिल्प एवं खूबसूरती वास्तव में बेमिसाल है। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार के एकदम बीचोंबीच पहाड़ों एवं दुर्ग की पृष्ठभूमि में 18वीं सदी में बनी लगभग 250 साल पुरानी विशालकाय ऐतिहासिक नवाब साहब की हवेली अपनी खास विशेषताएं के लिए जानी जाती है। सम्पूर्ण चारदीवारी जयपुर की खूबसूरती और सुनियोजित नगर निर्माण को इस हवेली से घूमते हुए आइनों में देखा जा सकता है। हवेली की छत पर दो आयताकार शीशे आमने-सामने लगे हैं। इन दोनों शीशों को हवेली की छत पर इस तरह लगवाया गया है जिसे 90 डिग्री पर घुमाकर सम्पूर्ण जयपुर की ऐतिहासिक व अन्य नायाब इमारतों को देखा जा सकता है। चाहे वह जयपुर का ताज नाहरगढ़ दुर्ग हो या गढ़ गणेश, हवामहल, जलमहल, जंतर-मंतर, चंद्रमहल, सवाई मानसिंह टाउनहॉल, जयगढ़ दुर्ग, अल्बर्ट हॉल, मोती डूंगरी गणेश मंदिर या बिरला मंदिर हो। यानी अगर आप इस नायाब हवेली पर जाएं तो पूरा जयपुर देख सकते हैं।

अभी तक करीब 100 से अधिक टीवी चैनल्स व मशहूर फोटोग्राफर्स जिनमें रघुराय शामिल हैं ने इस ऐतिहासिक हवेली की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया है। रघुराय तो इस हवेली से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि इस ऐतिहासिक इमारत की छत पर लगे शीशों से ली फोटो को उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखती पुस्तक ड्रीम्स ऑफ इंडिया में शामिल किया है। कई महान शख्सियत इस हवेली को साक्षात रूप में देख चुके हैं। यही नहीं विश्व प्रसिद्ध नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने हवेली की छत से फोटो लेकर पत्रिका में प्रकाशित किया है।

अपनी अद्वितीय विशेषता से इस हवेली को 1987 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार की गाइड बुक में पांचवें सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में पहचान मिली। इसके बाद से तो यहां देशी-विदेशी सैलानियों का तांता सा लगने लगा। हवेली के ठीक सामने महाराजा का त्रिपोलिया दरवाजा दिखाई देता है जहां से तीज गणगौर की शाही सवारियां निकलती हैं। बाजार की रंग-बिरंगी सड़कों व आने जाने वालों के मनोरम व मनभावन दृश्य भी देखने को मिलता है।

इतिहास की ओर रूख करते हुए अगर देखे तो महाराजा सवाई जयसिंह जब आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी नई राजधानी के रूप में विकसित कर रहे थे उसी क्रम में महाराजा द्वारा एक ही स्थान से सम्पूर्ण जयपुर नगरी के वास्तुशिल्प, निर्माण कार्य की प्रगति को देखने के लिए इस हवेली का निर्माण जयसिंह के मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के महल के रूप 1772 में हुआ। विद्याधर की चार पीढ़ियों तक यह हवेली उनके वंशजों के पास रही और बाद में यह जयपुर रियासत की संपत्ति हो गई। जयपुर रियासत के अन्तर्गत महाराजा जयसिंह और उनकी मृत्यु के पश्चात् महाराजा जगत सिंह के आधिपत्य में आ गई। जगत सिंह एक महिला रसकपूर के प्रेम में इतना डूब गए कि रसकपूर की मंशा अनुसार इस हवेली को उसके महल बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। किंतु महाराजा की असामयिक मृत्यु से रसकपूर का यह ख्वाब ही रह गया और यह हवेली महाराजा रामसिंह द्वितीय के अधीन आ गई। बाद में महाराजा रामसिंह द्वितीय ने इसे अपने प्रधानमंत्री नवाब सर फैज अली खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस के रूप में दे दिया। खान ने इस हवेली को और अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से इसमें एक बड़ा हॉल बनाया तथा सोना-चांदी की नक्काशी चित्रकारी का काम करवाया और तभी से यह नवाब साहिब की हवेली के रूप में प्रसिद्ध हो गई। फैज अली के बाद यह हवेली उनके पुत्र सर फैय्याज अली खां को महाराज माधोसिंह ने बक्शीश बतौर इनाम इनायत कर दी। सर फैय्याज अली जो माधोसिंह के प्रधानमंत्री थे ने हवेली में दूसरा हॉल बनवाया और उसमें चांदी का कार्य करवा के हवेली को और नायाब रूप दे दिया।

यह हवेली पर्यटकों के लिए एक मनोरम स्थल है जहां समयाभाव के चलते वे पूरे जयपुर को एक ही स्थान से निहार सकते हैं। •

मदर मिल्क का एक अनूठा बैंक

मां के दूध से श्रेष्ठ कोई औषधि व कोई आहार नहीं है। बच्चा जब मां की कोख में अस्तित्व में आता है तभी से वह मां के शरीर में मौजूद प्रकृति प्रदत्त आहार पर निर्भर रहता है और जन्म लेने के बाद भी उसे मां के दूध के रूप में सर्वश्रेष्ठ आहार ही मिलता है। मां के दूध पर ही बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता, मस्तिष्क एवं शरीर के सभी महत्त्वपूर्ण अंगों का विकास निर्भर करता है। इसी कारण चिकित्सक भी बच्चे के आरम्भिक छह माह तक सिर्फ मां के दूध को ही बेहतरीन विकल्प अपनाने की सलाह देते हैं।

कई बार बच्चे के जन्म के बाद शिशु को पर्याप्त दूध मां के जरिए नहीं मिल पाता है। मां की बीमारी, प्राकृतिक तौर पर मां के शरीर में दूध न बनना आदि कई कारण हो सकते हैं जिनसे बच्चे को मां का दूध नहीं मिलने से उसका प्राकृतिक तौर पर समुचित विकास नहीं हो पाता वहीं कई बार बच्चे कुपोषण का शिकार भी हो जाते हैं।

सिर्फ मां के दूध पर ही आधारित रहने वाले शिशुओं के लिए आधुनिक शोध एवं चिकित्सा क्षेत्र में नवीन आविष्कारों के चलते उदयपुर में स्थापित मदर मिल्क बैंक मानो ईश्वर का वरदान साबित हो रहा है। मदर मिल्क बैंक की सफलता का वास्तविक श्रेय जाता है उन माताओं को जिन्होंने ऐसे शिशुओं को ''जीवन अमृत'' के रूप में अपना दूध उपलब्ध कराने का अनुकरणीय संकल्प लिया है।

उदयपुर के पन्नाधाय चिकित्सालय में स्थापित दिव्य मदर

मिल्क बैंक के मार्फत हजारों की तादाद में ऐसे शिशुओं को दूध उपलब्ध कराना सम्भव हो पा रहा है जो किसी न किसी वजह से अपनी मां का दूध ग्रहण कर पाने में असमर्थ हैं। उदयपुर में मदर मिल्क बैंक की शुरुआत 15 अप्रैल, 2013 को मां भगवती संस्थान के संस्थापक योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल के संकल्प से हुई।

लाखों माताओं ने किया दूध का दान

मदर मिल्क बैंक में विगत 5 वर्षों के दौरान 1 लाख 11 हजार 364 माताओं ने 25,601 बार में 25 लाख 23 हजार 445 मिलीलीटर दूध दान कर, 6191 नवजात शिशुओं को दूध पिलाकर जीवनदान दिया। इसी प्रकार वे माताएं जो किन्हीं कारणों से अपने बच्चों को दूध पिलाने में अक्षम या असमर्थ हैं, ऐसी 2 लाख से अधिक माताओं को 29,915 बार में 5,52,821 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराया गया। उन माताओं को संस्थान की ओर से ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोटिंग सर्विसेस से शिशु को दूध पिलाने में समर्थ भी बनाया गया। विगत 6 अप्रेल, 2017 से संस्थान की ओर से दिव्य मदर मिल्क बैंक आरएनटी मेडिकल कॉलेज को

'अन्नपूर्णा दूध योजना' के तहत बच्चों को

'मिड डे मील' में अब दूध पोषाहार

राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में जो नवाचार अपनाए गए हैं, उनकी गूंज इस समय देशभर में हो रही है। एनसीईआरटी द्वारा करवाए जाने वाले राष्ट्रीय सर्वेक्षण (नेशनल अचीवमेंट सर्वे) में राजस्थान देशभर में दूसरे स्थान पर रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों से ही बोर्ड परीक्षा परिणामों में भी निजी के मुकाबले राजकीय विद्यालयों के परिणाम बेहतरीन रहे हैं। इधर राज्य सरकार ने देशभर में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण से जुड़ी महत्ती योजना 'अन्नपूर्णा दूध योजना' की पहल की है। मिड-डे-मील के तहत प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रतिदिन ताजा भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही अब उन्हें 'अन्नपूर्णा दूध योजना' के तहत सप्ताह में तीन दिन दूध पोषाहार भी दिया जाएगा। आगामी 2 जुलाई को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे इस योजना की विधिवत शुरुआत करेगी।

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी बताते हैं, राजस्थान ने मिड-डे-मील के अन्तर्गत विद्यार्थियों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया है। उद्देश्य यही है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी स्वस्थ-तन्दुरुस्त हों और उन्हें समुचित पोषण मिल सके। अन्नपूर्णा दूध योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत महिला दुग्ध समितियों के माध्यम से दूध वितरित किया जाएगा।

राज्य के विद्यालयों, मदरसों, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 3 दिन उच्च गुणवत्तापूर्ण, गर्म, ताजा दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार अथवा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को प्रत्येक विद्यालय में तीन दिवस दूध पोषाहार दिया जाएगा। पंचायतों में दूध वितरण हेतु विद्यालयवार दिवसों का निर्धारण इस प्रकार से किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में दूध की दैनिक मांग लगभग समान रहे। प्रत्येक विद्यालय में छात्र-छात्राओं को दूध प्रार्थना सभा के तुरन्त पश्चात उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यालयों में दूध छानकर और उबालकर ही वितरित किया जाएगा।

अन्नपूर्णा दूध योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को दूध दिए जाने से पहले उसे कोई अध्यापक चखेगा और उसके बाद ही उसे विद्यार्थी को दिया जाएगा। इसके सफल, सुव्यवस्थित संचालन एवं आवश्यक कार्यों को समयबद्ध सम्पादित करने के लिए राज्य भर में ब्लॉक स्तर पर वहां के ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

'अन्नपूर्णा दूध योजना' के अन्तर्गत कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को 150 एम.एल. तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 एम.एल. दूध विद्यालयों में प्रदान किया जाएगा। दूध वितरण का प्रबन्ध विद्यालय प्रबन्ध समितियों के मार्गदर्शन में होगा। योजना के लिए स्थानीय भामाशाहों का भी सहयोग लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने अपने स्तर पर राज्य के जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों को इस योजना में सहयोग के लिए बाकायदा पत्र लिखे हैं।

राजस्थान देश का वह अग्रणीय राज्य है जिसमें मिड-डे-मील के तहत 'अन्नपूर्णा दूध योजना' में दूध पोषाहार की पहल की गई है। कहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास करता है। बच्चे पढ़ें, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन से निरंतर आगे बढ़ें, इसी उद्देश्य से 'अन्नपूर्णा दूध योजना' प्रारम्भ की जा रही है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के लिए यह योजना किसी उपहार सरीखी है। •

आलेख : **डॉ. राजेश कुमार व्यास**
सहायक निदेशक, शिक्षा

हस्तान्तरित किए जाने के बाद यह केन्द्र पूर्ण गुणवत्ता एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो रहा है। आशा की जा सकती है कि माताओं के भामाशाही योगदान से मां का दूध सहेजने की यह परम्परा निर्बाध तौर पर जारी रहकर वात्सल्य रूपी गंगा से जरूरतमंद नवजातों के जीवन को सहेजने में मिसाल साबित होगी।

ऊषा वारसी बनी प्रेरक

उदयपुरवासी जागरूक महिला श्रीमती ऊषा वारसी मदर मिल्क बैंक की भामाशाह के रूप में अपनी अलग पहचान रखती हैं। वर्ष 2011 में गुजरात में ऊषा को मिल्क बैंक की जानकारी मिली। वहीं से उन्होंने मां बनने के बाद मिल्क दान करने का संकल्प ले लिया। आखिर वर्ष 2013 में उन्हें पहला प्रसव ऑपरेशन से हुआ। बेड रेस्ट के बाद ऊषा ने मदर मिल्क बैंक को दूध उपलब्ध करना शुरू कर दिया। यह सेवा डेढ़ वर्ष तक उन्होंने जारी रखी। यही सेवा उन्होंने 2017 में दूसरे ऑपरेशन प्रसव के पश्चात भी दी और प्रसव के 7 दिन बाद से ही मिल्क डोनेट करना शुरू कर दिया जो अब तक सतत रूप से जारी है।

श्रीमती वारसी अब तक 140 बार में 17,770 मिलीलीटर दूध का दान कर चुकी हैं। वारसी गर्व से कहती हैं कि ऐसे बच्चों तक उनका दूध पहुंचा है जहां उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था, यह उनके लिए गौरव की बात है। वे हर प्रसूता महिला को इस पुनीत कार्य से जुड़कर जरूरतमंद नवजात शिशुओं का जीवन संवारने में योगदान देने को प्रेरित करती हैं। ऊषा वारसी के सराहनीय योगदान की जिला कलक्टर बिष्णुचरण मल्लिक ने मुक्तकंठ से सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। •

आलेख व छाया : **पवन कुमार शर्मा**
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर

25 करोड़ की लागत से बन रही हैं

शहीदों की 1150 मूर्तियां

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के निर्देश पर गत वर्ष अप्रेल एवं मई माह में चिलचिलाती धूप में राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर (राज्य मंत्री) ने राज्य के सभी जिलों में शहादत देने वाले जवानों के घर एवं उनके मूर्ति स्थल पर जाने का जो संकल्प लिया था। बाजौर अब तक राज्य के 30 जिलों के शहीदों के घर एवं उनके मूर्ति स्थलों पर जाकर अपनी श्रद्धाजंलि अर्पित कर चुके हैं। उन्होंने शहीदों के परिजनों से मिलकर उनके दु:ख-दर्द की बातें सुनी और उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। उनकी पहचान राज्य में एक बहुत बड़े भामाशाह के रूप में मानी जाती है।

बाजौर का कहना है कि वे आगामी एक माह में राज्य के शेष जिलों में शहीदों के घर एवं उनके मूर्ति स्थलों पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, चाहे गर्मी का तापमान कुछ भी रहे। उन्होंने बताया कि राज्य में 1592 शहीद हैं, जिनमें से अधिकतर शहीद कारगिल युद्ध से पहले के हैं। इन शहीदों के परिजनों को ना तो अभी तक कोई विशेष पैकेज मिला था और ना ही उनके आश्रितों में से किसी व्यक्ति को नौकरी दी गई थी। लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने यह निर्णय लिया है कि कारगिल युद्ध से पहले के जितने भी शहीद हो, उनके रक्त सम्बन्ध वाले एक व्यक्ति को राज्य सरकार उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी लगाएगी। यह घोषणा उन्होंने झुंझुनूं जिले में शहीद सैनिकों के आश्रितों के सम्मान समारोह में भी की थी। अब तक सीकर एवं झुंझुनूं के करीब 15 शहीदों के आश्रितों को राजकीय सेवा में नौकरी पर लगाया जा चुका है, शेष की प्रकिया राज्य स्तर पर चल रही है।

प्रेम सिंह बाजौर ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार शहीदों के घर-घर एवं उनके मूर्ति स्थलों पर जाकर शहीद के आश्रितों का दु:ख-दर्द सुना एवं जाना है। यही नहीं प्रेम सिंह बाजौर स्वयं के खर्चे एवं अन्य लोगों के सहयोग से 25 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान के 1150 शहीदों की मूर्तियां स्वयं बनवाकर दे रहे हैं और उनके लोकार्पण की शुरुआत भी उन्होंने काफी समय पहले से कर दी है। शहीदों आश्रितों के कल्याण के लिए समर्पित बाजौर 1582 शहीदों के घर-घर गए और उनके आश्रितों का शॉल ओढ़ाकर और मूर्ति स्थलों पर माला पहनाकर सम्मान किया और अब 1150 शहीदों की मूर्तियों के बन जाने पर उनका अनावरण करने भी जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 100 मूर्तियां पिलानी के नजदीक खुडानियां गांव में बनवाई जा रही हैं, जिनमें से 20 शहीदों की मूर्तियां लगाई जा चुकी हैं और 40 के लगभग मूर्तियां बनकर तैयार हैं तथा 40 मूर्तियां अगले 2 माह में बनकर तैयार हो जाएंगी। शहीदों की इन प्रतिमाओं को उनके गांव में लगाने की शुरुआत उनके परिजनों द्वारा मूर्ति स्थल का प्लेटफार्म बनवाने के बाद की जाएंगी। मूर्ति स्थल का स्टेच्यू विधायक

एवं सांसद कोटे से या स्वयं परिजनों द्वारा बनवाया जाएगा, जबकि आदमकद मूर्ति के निर्माण पर खर्च होने वाली सम्पूर्ण राशि बाजौर स्वयं खर्च कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लिम्का बुक एवं गिनीज बुक में इस अभियान के दर्ज होने की कार्यवाही भी चल रही है। उनका कहना है कि शहीद देश की धरोहर है तथा उनकी कोई जाति एवं धर्म नहीं होता। हमें इन्हें देवता की तरह पूजना चाहिए तथा इनके परिजनों के मान सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं रखनी चाहिए। शहीदों ने जब अपनी शहादत देकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि उनकी याद को चिर स्थाई बनाए रखने के लिए हर वर्ष उनकी पुण्य तिथि पर हम उन्हें याद करें।

मूर्तिकार शेखावत

झुंझुनूं जिले की चिड़ावा पंचायत समिति के खुडानियां गांव के 44 वर्षीय मूर्तिकार वीरेन्द्र सिंह शेखावत एक ऐसे कलाकार है, जिन्होंने एक सौ शहीदों की मूर्तियों के अलावा छोटी-बड़ी 400 मूर्तियां बनाई हैं, शेखावत 50 फीट से अधिक लम्बी 15 और इससे छोटी 350 मूर्तियां अब तक बना चुके हैं। इनके पिता आशुसिंह पेशे से किसान हैं और वीरेन्द्र मात्र दसवीं तक ही पढ़े-लिखे हैं।

उन्होंने हनुमान धाम शाहजहांपुर (बरेली) शहर में दो नदियों के बीच बहते हुए पानी में हनुमान जी की 104 फीट ऊंची मूर्ति बनाई है, इसको बनाने में 10 वर्ष लगे। उन्होंने 70 फीट ऊंची शिवजी की मूर्ति जम्मू में बनाई है, जिसे बनाने में लगभग 42 माह लगे। उनका कहना है कि एक शहीद की मूर्ति बनाने में 10 मिस्त्रियों को संयुक्त रूप से 10 दिन का समय लगता है, जिसकी लागत एक लाख रुपये के लगभग आती है।

मूर्ति बनवाने में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा दीपेन्द्र और उनकी लड़की रितु कंवर भी सहयोग करते रहते हैं। मूर्ति बनाने में लोहे, कंक्रीट, बजरी और सीमेन्ट तथा बाद में मूर्ति में रंग भरने के लिए विभिन्न रंगों की आवश्यकता होती है। एक शहीद की मूर्ति का वजन लगभग 3 क्विंटल है। अब इनका इरादा 170 फीट की मूर्ति बनाने का है। •

आलेख व छाया : **सवाई सिंह मालावत**
स्वतंत्र पत्रकार, झुंझुनूं

अरथूना के संरक्षण
के लिए होंगे प्रयास

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि अरथूना के प्राचीन मंदिर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक हैं। पर्यटन की दृष्टि से इनका विशेष महत्त्व भी है। इनके संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से चर्चा की जाएगी।

श्रीमती राजे 30 मई को बांसवाड़ा के अरथूना मंदिर में दर्शन करने के बाद उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि यहां पहली बार अरथूना महोत्सव आयोजित होने से पर्यटन की नई सम्भावनाएं पैदा हुई हैं। यहां आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए पाथ-वे एवं अन्य सुविधाओं पर 23 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने 10वीं शताब्दी के अरथूना मंदिर संकुल में स्थित हनुमान एवं शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने यहां मौजूद संतों को शॉल व श्रीफल भेंट किए और चरण छूकर आशीर्वाद लिया।

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2017-19
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

धरोहर

सागर

राजस्थान का जल स्थापत्य भी बड़ा अजब-अूनठा है। इनमें सर, सागर, समन्द, सरोवर और कलात्मक बावड़ियां प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। ऐसा ही एक कलात्मक जल स्थापत्य है अलवर शहर के राजप्रसादों के पिछवाड़े। यह न केवल दर्शनीय है अपितु रमणीय भी है। यह 'सागर' के नाम से लोकप्रिय है। रियासत काल में बने इस सागर में वर्षा के दौरान किशनकुण्ड के ओवरफ्लो का पानी आता है। इसके चारों तरफ सीढ़ियां, छतरियां तथा स्नान के लिए मर्दाना और जनाना घाट बना हुआ है। सागर के पानी में जब पहाड़ का अक्स झिलमिलाता है तो यह और भी अधिक मनोरम हो उठता है।

आलेख व छाया : डॉ. देवदत्त शर्मा

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, डॉ. राजेश शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक-गणपत सिंह नारोलिया • मैसर्स रेनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स, बी-3, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'-पृष्ठ संख्या 60, मूल्य 20 रुपये/ 35,000 प्रतियां